हरियाणा में यौन हिंसा से पीड़ित दलित महिलाएं न्याय से दूर ! यौन हिंसक तीव्रता में चौतरफा भेदभाव!

Swabhiman Society

Equality Now
A just world for women and girls.

विषय-सूची

3 आभार

4 कार्यकारी सारांश

7 यौन हिंसा को संबोधित करने के लिए कानूनी ढांचा

7 अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के प्रति बाध्यता

8 राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

9 हरियाणा में बलात्कार के मामलों की व्यापकता

10 उत्तरजीवी/पीडिता कहानी: पल्लवी

11 चालीस मामलों का विश्लेषण किया गया

11 पद्धति

12 मामलों और पीड़ित/अभियुक्त व्यक्तियों की पृष्ठभूमि

14 दलित महिलाओं और लड़कियों को दी गईं यौन प्रताड़नाओं के रूप

15 उत्तरजीवी/पीडिता कहानी: रेखा

16 न्याय के रास्ते में दीवारें

16 सामुदायिक दबाव और कलंक

19 पुलिस का रवैया, निष्क्रियता, भ्रष्टाचार और भेदभाव

22 उत्तरजीवी/पीडिता कहानी: सावित्री

24 मेडिको-लीगल परीक्षा से संबंधित समस्याएं

25 उत्तरजीवी/पीडिता कहानी: रीना और रोशानी

26 न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे

28 पीड़िता/परिवार पर प्रभाव और सहायता सेवाओं की कमी

29 उत्तरजीवी/पीडिता कहानी: कमला और गुड़िया

33 सिफारिशें

37 एंडनोट

'स्वाभिमान सोसाइटी' के बारे में

स्वाभिमान सोसाइटी युवा दलित महिलाओं के नेतृत्व में, युवा दलित महिलाओं का ही संगठन है, जो जमीनी स्तर पर जाति एवं लिंग आधारित उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए हरियाणा में दलित महिलाओं को एकजुट करने और संगठित करने के लक्ष्य के साथ बनाया गया है । 2012 से, स्वाभिमान सोसायटी ने हाशिए पर खड़ें समुदायों में, यौन हिंसा की शिकार अवं पीड़ितों को पैरालीगल सहयोग और कानूनी सहायता प्रदान की है, और हरियाणा में दलित, मुस्लिम और ट्रांस महिलाओं और लड़कियों के प्रति उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ काम करती आई है । यौन हिंसा की शिकार अवं पीड़ितो को न्याय दिलाने के अलावा स्वाभिमान सोसायटी, दलित महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने और इस समुदाय के भीतर मजबूत,आत्मनिर्भर नेतृत्व खड़ा करने का काम कर रही है ।

@swabhimansociety

@manishamashaal @swabhimansociety

'इक्वलिटी नाउ' के बारे में

1992 में स्थापित, 'इक्वलिटी नाउ' एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो दुनिया भर की सभी महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा और उसे बढ़ावा देने के लिए काम करता है। हमारे अभियान चार कार्यक्रम क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: कानूनी समानता, यौन हिंसा समाप्त करना, हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना, और सेक्स तस्करी का अंत; किशोरियों की अनूठी जरूरतों पर क्रॉस-कटिंग फोकस के साथ। 'इक्वलिटी नाउ' सभी महिलाओं और लड़कियों के हित में कानूनी और प्रणालीगत परिवर्तन लाने के लिए जमीनी स्तर पर सक्रियता को अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय कानूनी वकालत के साथ जोड़ता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि सरकारें ऐसे कानून और नीतियां बनाये और लागू करे जो उनके अधिकारों को बनाए रखे ।

एक वैश्विक संगठन की हैसियत से, 'इक्वलिटी नाउ' के संयुक्त राज्य अमेरिका (न्यूयॉर्क), अफ्रीका (नैरोबी), यूरोप (लंदन), और MENA (बेरूत) में कार्यालय हैं और सारी दुनिया में साझेदार और सदस्य हैं।

अधिक जानकारी के लिए: equalitynow.org

@equalitynoworg

@equalitynoworg

@equalitynow

डिजाइन: पीटर विल्बॉर्न
अनुवाद: जोहाना मेहरात

नवंबर 2020

आभार

'स्वाभिमान सोसाइटी' और 'इक्वलिटी नाउ' इस रिपोर्ट के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न व्यक्तियों के प्रति आभारी और ऋणी हैं। हम मंजुला प्रदीप (अभियान निदेशक, दलित ह्युमन राइट्स डिफेंडर्स नेटवर्क; एवं संस्थापक, WAYVE फाउंडेशन) के अपार योगदान, जिसमें अवधारणा को विकसित करना और रिपोर्ट के निर्माण में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना शामिल है, का धन्यवाद करते हैं । हम तारा वेंकटेशन द्वारा मूल्यवान योगदान की भी सराहना करते हैं, जिन्होंने डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण के संधर्भ में सहायता की, जो की रिपोर्ट के निष्कर्षों का एक ज़रूरी हिस्सा है ।

हम फैक्ट फाइंडिंग विजिट, डाटा कलेक्शन, केस फॉलोअप और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने में 'स्वाभिमान सोसाइटी' ओर से स्टाफ, खासकर मनीषा मशाल और रजनी मशाल, (मीरा,सोनिया,शबनम) के योगदान का धन्यवाद करते हैं । हम रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने, समीक्षा करने, संपादन और डिजाइन करने में 'इक्वलिटी नाउ' कर्मचारियों, विशेष रूप से दिव्या श्रीनिवासन, जैकी हंट, एंड्रिया एडमैन और तारा केरी, के योगदान का भी धन्यवाद करते हैं ।

कार्यकारी सारांश

दलित - जिन्हें भारत के संविधान ने आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जातियों के रूप में नामित किया है - भारत में जाति और वर्ग पदानुक्रम में सबसे नीचे हैं । विशेष रूप से दलित महिलाओं को लिंग, जाति और वर्ग भेदभावों को मिश्रित - (मिले-जुले) रूपों को झेलना पड़ता है । हिंसा, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार समेत, दलित महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार करने और संरचनात्मक लिंग और जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रमुख जातियों द्वारा हथियार के रूप में व्यवस्थित रूप से प्रयोग किया गया है।[1] हाल ही में उत्तर प्रदेश में सितंबर २०२० में हुई हाथरस सामूहिक बलात्कार के मामले में एक दलित महिला मैला ढोने वाले समुदाएँ से आने वाली लड़की (महादलित समुदाएँ) की मौत के परिणामस्वरूप पूरे भारत में व्यापक जन आक्रोश पैदा हो गया है और जाति आधारित यौन हिंसा के मुद्दे को सुर्खियों में डाल दिया है।

"हिंसा, मौन और दण्ड-मुक्ति" की परंपरा

देश भर में हर दिन लगभग 10 दलित महिलाओं या लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है[2], इससे इस अपराध की देशज तेज प्रकृति ज़ाहिर होती है, साथ ही बलात्कार का इस्तेमाल दलित महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार करने के लिए एक शक्ति के साधन के रूप में भी किया जाता रहा है । हालांकि माना यह जाता है कि यह भयावह ब्यानित (बयान किए हुए आंकड़े यौन हिंसा की व्यापकता को बेहद कम करके आंकते हैं क्यूंकि कुल मामलों का एक बहुत ही छोटा सा अंश ही जानकारी में आ पाता है।[34] सब जानते हैं कि यौन हिंसा पीड़ितों, विशेष रूप से दलित महिलाओं और लड़कियों, को व्यवस्थित रूप से चुप करवाया जाता है - अन्य समुदायों द्वारा चुप रहने की धमकियों और दबाव के चलते, दबंग जातियों के डर या धमकियों के कारण खुद पीड़ित के परिवार या समुदाय द्वारा ही शिकायतों का दबा दिया जाना, और शिकायत को ओपचारिक रूप में दर्ज कर पाने में पुलिस की विफलता[5] - जिसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में हिंसा से दुरी और आरोपियों की आजादी "हिंसा, मौन और दण्ड-मुक्ति"[6] की परम्परा बनी हुई है ।

> "देश भर में हर दिन लगभग 10 दलित महिलाओं या लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है।"

दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बहुत ही ऊंची दरें

उत्तरी राज्य हरियाणा में, जहां दलित राज्य की आबादी का पांचवां हिस्सा हैं, वहां एक गहरी जड़ों वाला जाति-आधारित और पितृसत्तात्मक समाज अभी भी फल-फूल रहा है । महिलाओं के खिलाफ हिंसा की दरें ऊंची हैं -२०१९ में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि अकेले इस राज्य में हर दिन 4 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है ।

न्याय तक पहुँचने में बाधाएँ

इस संदर्भ में, इस रिपोर्ट का उद्देश्य न्याय तक पहुंचने में हरियाणा में दलित यौन हिंसा पीड़ितों के सामने आने वाली विशिष्ट बाधाओं को समझना और विश्लेषण करना है । यह रिपोर्ट पिछले एक दशक में 'स्वाभिमान सोसाइटी' द्वारा हरियाणा में यौन हिंसा झेल चुके और झेल रहे दलित लोगों के साथ किये गए सीधे काम के अनुभवों का समावेश करती हुई आगे बढती है और इस काम में मिली सीख और अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डालती है । हालांकि भारत में यौन हिंसा झेल चुके सभी पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह रिपोर्ट विशेषकर दलित महिला और कन्या पीड़ितों के सामने आने वाले ख़ास तरह के मुद्दों पर केंद्रित है और अपने अनुभवों को दर्ज करने के लिए एक चौतरफ़ा दृष्टिकोण का उपयोग करती है । जाति (जो उत्पीड़न और भेदभाव की एक व्यापक प्रणाली है), वर्ग, आयु और लिंग सहित विभिन्न पहचानों के अन्तर्विभाजों पर व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक पदानुक्रम के मिश्रित रूपों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि इन अंतर्विभाजन की वजह से महिलाओं और लड़कियों के सामने आने वाले भेदभाव और हिंसा की प्रकृति और रूप गंभीर हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए विशिष्ट इरादात्तन हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी।[7]

हरियाणा में अध्ययन किये गए दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के 40 मामलों के आधार पर महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं-

- **जाति आधारित यौन हिंसा:** दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों के एक बड़े हिस्से (80%) में अपराध दबंग जातियों के पुरुषों द्वारा किये गए थे ।
- **दोषसिद्धि और सजा दिलवाने में कठिनाई:** केवल ऐसे मामलों में सारे अभियुक्तों के खिलाफ दोषसिद्धि संभव हो पाई थी, जिनमें या तो बलात्कार और हत्या एक साथ किये गए थे, या बहुत छोटी बच्चियों (6 वर्ष से कम आयु) के साथ अपराध किये गए थे। जघन्य अपराधों के चरम माने जाने वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों में अपराधियों को सजा दिलवाना एक अनूठे रूप में अत्यंत कठिन है, इतना कि किशोरियों और वयस्क महिलाओं के लिए न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है ।
- **न्याय तक पहुंच में बाधा डालने में सामुदायिक भूमिका:** समुदाय और सामाजिक दबाव पीडिता या उसके परिवार को समझौते या विधीतर सेटेलमेंट में धकेलने की या तो कोशिशें करता है या उन्हें ऐसा करने पर मजबूर ही कर देता है, और इस तरह न्याय पाने के रस्ते में बाधा डालने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है (जैसा कि अध्ययन किए गए मामलों के 57.5% में हुआ था)। खाप पंचायतों के नाम से जानी जाने वाली अनधिकृत ग्राम परिषदों ने भी पीडिता या उसके परिवार को चुप करने या आपराधिक मामले को लड़ने से रोकने के लिए अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का उपयोग करके ८०% से अधिक मामलों में न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया ।
- **सहायता सेवाओं की कमी:** पीड़ितों को सहायता सेवाओं, ऐसी सेवाएं भी जिन्हें प्रदान करना कानूनी रूप से आवश्यक माना जाता है, तक पहुंचना बेहद मुश्किल लगता है, जैसे कि पीड़ित मुआवजा, मानसिक-सामाजिक देखभाल और पुलिस सुरक्षा। इसके विभिन्न कारण हैं जैसे कि सेवाओं की आम जनता तक पहुंच, जाति आधारित भेदभाव आदि ।
- **अंदरूनी हस्तक्षेप वाली डॉक्टरी जांचें:** कई मामलों में बलात्कार पीड़िताओं की कानूनी-चिक्तिसीय-परीक्षण के अंतर्गत प्रतिबंधित 'दो उंगली परीक्षण', एक आघातपूर्ण और अवैज्ञानिक योनि परीक्षा, किया जा रहा है ।

दलित महिलाओं और लड़कियों को खासतौर से चुन के निशाना बनाया जाना

इस रिपोर्ट में पाया गया है कि न केवल हरियाणा में दलित महिलाओं और लड़कियों को समाज में पसरी इस 'क्लीन-चिट की परम्परा' के कारण यौन हिंसा के मामलों में न्याय पाने से वंचित रखा जा रहा है, विशेष रूप से जब अपराधी किसी दबंग जाति का हो, बल्कि ऐसे संकेत मिलते हैं कि दलित महिलाओं और लड़कियों को विशेष रूप से दबंग जाति के मर्दों द्वारा बलात्कार का शिकार इस लिए बनाया जाता है क्यूंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्लीन-चिट मिल जाएगी। लगभग सभी मामलों में, जिन भी पीड़ितों ने यौन हिंसा के लिए न्याय पाने कि कोशिश कि है, उनको कलंक, प्रतिशोध, धमकियों, हिंसा और अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ा है, ताकि वे चुप रहें या कानूनी लड़ाई न लडें। वो डर में जीते है - अपनी सुरक्षा के लिए डर, अपनी रोज़ी-रोटी (जो अक्सर दबंग जातियों के कब्ज़े में रहती है) खोने का डर, खुद के घर से जबरदस्ती निकल दिए जाने का डर, और पुलिस, अभियोजन पक्ष के वकीलों और आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य अधिकारियों से जाति आधारित उत्पीडन और भेदभाव का सामना करने का डर । यह डर, आघात और दबाव जिसका सामना पीड़ित और उनके परिवारों को करना पड़ता है; यह सब न्याय के रस्ते में आने वाली उन बाधाओं से और भी बढ़ जाता है जो न्यायिक प्रणाली के अन्दर यूँ भी भरी पड़ी हैं .

अशुद्धता को संबोधित करते हुए - हमारी सिफारिशें

अब इस दिशा में ठोस कार्रवाई का वक़्त आ गया है ।

न्याय के रास्ते में यौन हिंसा पीड़ित दलितों के सामने आने वाली दीवारें इतनी बड़ी हैं कि यौन हिंसा के अपराधियों पर मुकदमा चलाये जाने और उन्हें दोषी ठहराए जाने कि संभावनाएं बहुत कम है । हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने के लिए इस क्लीन-चिट की परम्परा को सम्भोधित करना ही पड़ेगा तथा यौन हिंसा के मामलों की रोकथाम और प्रतिक्रिया में भारी सुधार करना होगा

इन निष्कर्षों के आधार पर हमारी रिपोर्ट हरियाणा में पुलिस, चिकित्सा-विधिक और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है, ताकि यौन हिंसा पीड़ितों, विशेषकर दलित महिलाओं और लड़कियों, की न्याय तक पहुंच में सुधार हो सके। इस रिपोर्ट में शामिल प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

हमारे सिफारिशें

- पुलिस की जवाबदेही को बढ़ाना तथा पीड़ित और गवाह सुरक्षा के प्रभावी प्रावधान
- यौन हिंसा के अपराधियों, खासकर दबंग जातियों के अपराधियों, के लिए इस क्लीन-चिट की परम्परा को संबोधित करना
- खाप पंचायतों पर प्रतिबंध लगाने सहित यौन हिंसा के मामलों में सामुदायिक हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए कदम उठाना
- कानून प्रवर्तन अधिकारियों से सामना होने पर दलित महिलाओं और लड़कियों द्वारा झेले जाने वाले भेदभाव के चौतरफा रूपों का मुकाबला करना
- यौन हिंसा रोकथाम और प्रतिक्रिया कार्यक्रमों के लिए मौजूदा धनराशि के संसाधनों और उपयोग में सुधार।

यौन हिंसा को संबोधित करने के लिए कानूनी ढांचा

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के प्रति बाध्यता

भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों को मंज़ूरी दी है, जिनमें "नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम" (ICCPR), "महिलाओं के विरूद्ध सभी स्वरूपों के भेदभाव के निवारण सम्बंधित अन्तराष्ट्रीय समझोता " (CEDAW) और "नस्लीय भेदभाव के सभी स्वरूपों के के निवारण सम्बंधित अन्तराष्ट्रीय समझोता" (CERD)। इन अन्तराष्ट्रीय समझोतो के तहत भारत का यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि यौन हिंसा से संबंधित कानून (प्रक्रिया संबंधी कानून समेत) भेदभावपूर्ण न हों, साथ ही साथ राज्य और गैर-राज्य दोनों प्रकार के कर्ताओं के द्वारा किए गए कृत्यों या ढिलाई, जिनके परिणामस्वरूप महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा होती है, के लिए "रोकथाम करने, मुकदमा चलाने, दंडित करने और पुनर्मूल्यांकन करने" के लिए समुचित सम्यक जांच लागू करना।[8]

यौन हिंसा से मुक्त जीवन जी पाना न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है, बल्कि 2030 के सतत विकास के लिए एजेंडा - एसडीजी (SDGs) के सभी महिलाओं और लड़कियों के लैंगिक समानता और सशक्तीकरण पर उद्देश्य 5 को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों, भारत सहित, प्रतिबद्ध हैं। उद्देश्य 5 में "सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने" के लक्ष्य शामिल हैं (लक्ष्य 5.1) और "सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकारों को समाप्त करना, जिसमें तस्करी और यौन और अन्य प्रकार के शोषण शामिल हैं" (लक्ष्य 5.2)। इसके अतिरिक्त, एसडीजी के लक्ष्य 16.3 में राज्यों को "राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन को बढ़ावा देने और सभी के लिए न्याय की समान पहुंच सुनिश्चित करने" की आवश्यकता है।

भारत की चौथी और पांचवीं आवधिक रिपोर्टों पर अपनी समापन टिप्पणियों में, 'महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की समिति' ने 2014 में "[म]हिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जाति आधारित हिंसा, बलात्कार सहित, की बढ़ोतरी तथा प्रमुख राज्य के अधिकारियों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा की गंभीर आपराधिक प्रकृति की अवहेलना किये जाने", साथ ही साथ "[अ]नुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का ढिलाई से कार्यान्वयन और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की दोषमुक्ति" के बारे में चिंता व्यक्त की ।[9]

राष्ट्रीय कानूनी ढांचा

समानता का कानूनी अधिकार और भेदभाव पर रोक

भारत का संविधान कानून की समानता और समान सुरक्षा के अधिकारों की गारंटी देता है और धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध लगाता है।[10] दलित समुदाय द्वारा झेले जाने वाले भेदभाव और उत्पीड़न के ऐतिहासिक रूपों को पहचानते हुए, संविधान का अनुच्छेद 17 भी स्पष्ट रूप से 'अस्पृश्यता' को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर निषेध लगाता है। इन संवैधानिक गारंटियों को प्रभावी करने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम [एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम] 1989, जाति आधारित प्रताडनाओं को रोकने और प्रभावी ढंग से संबोधित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम निषिद्ध अत्याचारों की एक सूची निर्दिष्ट करता है। इसके अलावा, बलात्कार सहित भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर अपराधों, जब वे एक व्यक्ति के खिलाफ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वे अनुसूचित जाति के हैं, के लिए अधिक सजा का प्रावधान भी है। एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत सभी मामलों की जांच एक ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जिसका पद पुलिस उपाधीक्षक (DSP) से कम न हो। कानून में पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास के प्रावधान भी शामिल हैं।

एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम में 2015 में काफी संशोधन किया गया था और संशोधित कानून में जाति-आधारित अत्याचारों की एक विस्तारित सूची शामिल है, जिसमें अनुसूचित जाति महिला के खिलाफ यौन उत्पीड़न और हमला, उसकी जाति की जानकारी होते हुए, शामिल हैं । 2015 संशोधन अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा सिर्फ SC & ST (PoA) अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए अलग विशेष अदालतों की स्थापना करना अनिवार्य है । ये विशेष अदालतें शीघ्र परीक्षण प्रदान करने के लिए हैं, जिन्हें दो महीने के भीतर पूरा किया जाना है। राज्य सरकार को इन अदालतों के समक्ष अपराधों के अभियोजन के लिए अलग विशेष लोक अभियोजकों को भी नियुक्त करना होगा । लेकिन, इस कानून को बहुत खराब तरीके से लागू किया गया है। उदाहरण के लिए, हरियाणा ने SC & ST (PoA) अधिनियम के तहत अपराधों के लिए किसी अलग विशेष न्यायालय या विशेष पुलिस स्टेशन की स्थापना नहीं की है, बल्कि केवल मौजूदा सत्र न्यायालयों को अधिनियम के तहत अपराधों कि सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के रूप में सीमांकन कर दिया जाता है।[11] विशेष न्यायालयों के रूप में तैयार किए गए ये सत्र न्यायालय सिर्फ जाति-आधारित अत्याचार के मामलों का परीक्षण नहीं करते, जिससे मामलों प्राथमिकता और कार्यभार प्रभावित होता है और मामलों निस्तारण में देरी होती है ।[12]

यौन हिंसा के अपराध

बलात्कार पर भारत के कानून ने 2012-13 में एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन अपराधों से निपटने के लिए 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम', 2012 (POCSO) और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 पारित किया गया था, जिसने भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रक्रिया कानूनों में यौन हिंसा से संबंधित महत्वपूर्ण और प्रक्रियात्मक प्रावधानों में पर्याप्त संशोधन किए। 2013 के संशोधनों ने बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया और यौन अपराधों के उन्नयन को पहचानने के लिए नए अपराधों को शामिल किया, बढ़े हुए बलात्कार के नए रूपों को शामिल किया, सहमति की स्पष्ट परिभाषा पेश की और पीड़ितों के लिए न्याय में सुधार के उद्देश्य से स्पष्टवादी और प्रक्रियात्मक कानूनों में बदलाव किए। हालाँकि, बलात्कार कानून में एक प्रमुख कमी जारी है - वयस्क महिलाओं के मामले में, वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध के रूप में न देखना।

ढांचागत मुद्दे

कानून में विस्तारित और प्रगतिशील संशोधनों के बावजूद, बलात्कार के प्रति भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रतिक्रियाओं के संबंध में कई संरचनात्मक मुद्दे, विशेष रूप से पुलिस, चिकित्सा और न्यायिक प्रणालियों के संबंध में, असंशोधित रह गए हैं । बलात्कार के विचाराधीन मामलों की बड़ी संख्या और जांच और अभियोजन में लंबी देरी, बुनियादी ढांचे की कमी, व्यापक गवाह संरक्षण तंत्र की कमी और अन्य प्रणालीगत मुद्दे न्याय में गंभीर बाधाओं और आमतौर पर भारत में बलात्कार के मामलों में कम सजा दर में योगदान करते हैं। न्याय तक पहुंच को प्रभावित करने वाले इन प्रक्रियात्मक मुद्दों में से कुछ, हरियाणा में अपराध के आधिकारिक डेटा के माध्यम से, यहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

हरियाणा में बलात्कार के मामलों की व्यापकता

2018 और 2019 से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आधिकारिक आंकड़े, हरियाणा में बलात्कार के मामलों के बारे में निम्नलिखित आंकड़े प्रदान करते हैं[13]:

	2018	2019		
	सारी महिलाएं और लड़कियां	दलति महिलाएं और लड़कियां	सारी महिलाएं और लड़कियां	दलति महिलाएं और लड़कियां
IPC धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार	1296	171	1480	221
POCSO के अंतर्गत बलात्कार(केवल लडकियां पीड़ति)[14]	1020	72	1117	101

हालांकि आंकड़े दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामलों की संख्या काफी कम दिखाते हैं, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दलित महिलाओं के संबंध में आंकड़े एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकरण पर निर्भर हैं । ज़मीनी तौर कार्यरत संगठनों और वकीलों से मिले सबूत चिन्हित करते हैं कि दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के कई मामलों में , जहां पुलिस द्वारा बलात्कार का मामला दर्ज किया जाता है, वहां भी एफआईआर में सामान्य रूप से एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत अपराध शामिल नहीं होते हैं । राज्य के भीतर जाति आधारित अत्याचारों पर शिकंजा कसने के लिए उच्च स्तरीय राजनेताओं के दबाव के कारण, जिला स्तर के अधिकारी बलात्कार के मामलों की एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत दर्ज होने की संख्या को कम करने के उद्देश्य से काम करते हैं ।[15] इसका अक्सर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ऐसे अपराधों को रोकने कि दिशा में प्रयासों को बढ़ाने कि बजाय, यह पुलिस में निष्क्रियता और मामलों को दर्ज करने से इनकार करने को प्रोत्साहित करता।[16]

2018 और 2019 से हरियाणा में बलात्कार के मामलों के आंकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को दर्शाता है:

- **पीड़ित के साथ अपराधी का संबंध (2019 डेटा):** 97% मामलों में, पीडिता अपराधी को जानती थी ।
- **पुलिस द्वारा 'झूठे' घोषित किये गए मामले (2018 और 2019 दोनों के आंकड़े):** राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस द्वारा जांच के तहत कुल बलात्कार के मामलों में से लगभग 6% को अंतिम रिपोर्ट में झूठा बताया गया।[17] हालांकि, हरियाणा में, पुलिस द्वारा जांच के तहत कुल बलात्कार के मामलों में से ३३% से अधिक को अंतिम रिपोर्ट में झूठा बताया गया । इसी तरह 2019 में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामलों में हरियाणा की पुलिस ने फिर से कुल मामलों के करीब 37 फीसद मामलों को झूठा केस घोषित कर दिया। इसमें 2018 से बढ़ोतरी है जहां एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा निपटाए गए मामलों में से लगभग 30% को झूठा घोषित किया गया था। इसके उलट जिस राष्ट्रीय दर पर पुलिस ने इस तरह के मामलों को झूठा घोषित किया था, वह 2018 में 7% और 2019 में 12% था।
- **आरोप पत्र दर (2018 डेटा):** बलात्कार के मामलों में हरियाणा की आरोप पत्र दर (यानी जिन में पुलिस द्वारा जांच पूरी की गई, उन मामलों में ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अपराधियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया) 58% थी।[18] इसका तात्पर्य यह है कि बलात्कार के लगभग ४२% मामलों को पुलिस जांच के दौरान ही छोड़ दिया जाता है (बिना आरोप दायर किए), जिससे अदालतों के ज़रिये मिलने वाला न्याय पीडिता की पहुंच से बाहर हो जाता है । आरोप आमतौर पर दायर इसलिए नहीं किए जाते हैं क्योंकि मामले को पुलिस द्वारा झूठा घोषित कर दिया जाता है(जैसा कि ऊपर वर्णित है) या सबूतों की कमी के कारण। बलात्कार के मामलों में हरियाणा की आरोप पत्र दर राष्ट्रीय आरोप पत्र(85%) दर से काफी कम है। दरअसल, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में हरियाणा की आरोपपत्र दर पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे नंबर पर है।
- **दोषसिद्धि दर (2018 डेटा):** हरियाणा में 2018 में परीक्षण के लिए 2162 बलात्कार के मामले थे, जिनमें से वर्ष के दौरान 685 मामलों का परीक्षण पूरा किया गया था (वर्ष के अंत में 1477 मामले विचाराधीन थे)। 685 पूर्ण मामलों में से केवल 148 मामलों में दोषसिद्धि हुई थी, यानी 21.6% की दोषसिद्धि दर (बलात्कार के मामलों में 27.2% की राष्ट्रीय दोषसिद्धि दर से कम)।

उत्तरजीवी/पीडिता कहानी: पल्लवी

* नाम बदल दिया गया है

पल्लवी 16 साल की थी और अपनी नानी से मिलने जा रही थी, जब 12 युवकों द्वारा उसका अपहरण और सामूहिक बलात्कार किया गया। उन्होंने उस पर किए उनके हमले की फिल्म बनाई और किसी को बताने पर वीडियो शेयर करने की धमकी दी।

अपराधी उसी इलाके में रहते थे और उनमें से आठ दबंग जाट जाति से थे। पल्लवी, जो दलित समुदाय से है, इतनी भयभीत थी कि वह नौ दिनों तक चुप रही। लेकिन अंततः भावनात्मक और शारीरिक आघात उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसने अपने माता-पिता से बात की।

उसके पिता रमेश, एक खेत मजदूर, ने गाँव के बुजुर्गों की ओर रुख किया जिन्होंने आरोपियों से पूछताछ की। इसके बाद रमेश पल्लवी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराने निकल गए। रास्ते में, बलात्कारियों के गैंग ने उन्हें घेर लिया, उन्होंने दोनों को डराया और फिर से पल्लवी के बलात्कार के ग्राफिक फुटेज को फैलाने की धमकी दी।

रमेश और पल्लवी पुलिस के पास गए बिना घर लौट आए। उसकी बेटी ने जो झेला, उसके वीडियो को देख कर और बलात्कारियों के द्वारा प्रतिशोध के डर से, रमेश ने उस रात आत्महत्या कर ली। अगले दिन, दुः ख से आहत पल्लवी अपने पिता के बलात्कार और मौत की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन गई।

पूरे चार दिन बीत गए, तब जाके पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, और अधिकारियों को गैंग के और सात को हिरासत में लेने में और चार दिन लग गए।

पल्लवी के परिवार को केस वापस लेने के लिए अपने गाँव के प्रभावशाली लोगों के दबाव का सामना करना पड़ा। आरोपी की धमकियों के बाद, पल्लवी और उनके रिश्तेदारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन पल्लवी को सुरक्षित रखने के बजाय, उनमें से कुछ ने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हो चुका है, “तूने तो अब कई लोगों के साथ सेक्स कर ही लिया है, तो हमारे साथ भी कर लेगी तो क्या बिगड़ेगा।

> “पल्लवी के परिवार को केस वापस लेने के लिए अपने गाँव के प्रभावशाली लोगों के दबाव का सामना करना पड़ा।”

एक प्रताड़ित लड़की पर पुलिस द्वारा फिर से किए जाने वाले इस भयावह जुल्म के बारे में पल्लवी ने बहादुरी से बात की और उसके सुरक्षाकर्मियों को बदल दिया गया। उस पर वो हमला 2012 में हुआ था लेकिन आज तक वह और उसका परिवार गंभीर खतरे में हैं। वह अब दलित समुदाय के एक अधिकारी की सुरक्षा में है और वह बहुत सुरक्षित महसूस करती है।

यह मामला अदालत पहुंचा और अदालत के फैसले ने पल्लवी को हिला दिया। गैंग में से केवल चार को दोषी ठहराया गया, और तो और उन्हें सजा तो उम्रकैद की सुनाई गई थी, लेकिन उन्हें पैरोल पर छोड़ दिया गया; और उच्च न्यायालय में अपील लंबित होने पर जमानत पर ही छोड़ दिया गया। वो लोग तो अब वापस जेल में हैं, लेकिन बलात्कार के आरोप में शामिल चार अन्य लोगों को बरी कर दिया गया, साथ ही दो अन्य लोग जो अभियुक्तों को शरण देने के लिए मुकदमे में थे, उन्हें भी छोड़ दिया गया।

पल्लवी अब कानून की पढ़ाई कर रही हैं और न्याय के लिए उनकी लड़ाई जारी है। वह ‘स्वाभिमान सोसाइटी’ के साथ काम कर रही है और अन्य दलित महिलाओं और लड़कियों की मदद कर रही है, वो महिलाएं और लड़कियां जिन्हें यौन हिंसा और प्रताड़ना झेलनी पड़ी, और सहायता और कानूनी सुरक्षा प्राप्त करना जिनका अधिकार है।

चालीस मामलों का विश्लेषण किया गया

पद्धति

इस रिपोर्ट में हरियाणा में दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के 40 मामलों की आपराधिक न्याय प्रणाली के जरिए प्रगति का विश्लेषण किया गया है। सभी केस स्टडीज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 'स्वाभिमान सोसाइटी' द्वारा समर्थित थे, इसलिए विश्लेष्ण हरियाणा के 11 जिलों तक सीमित है। रिपोर्ट में शामिल इन मामलों से जुड़ी जानकारी 2012 से 'स्वाभिमान सोसाइटी' द्वारा किये गए तथ्य-खोज रिपोर्ट और पीड़िताओं और उनके परिवारों के साथ साक्षात्कार, पुलिस के पास दायर एफआईआर, मेडिको-लीगल रिपोर्ट, अदालत के आदेश और पीड़िताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई पर आधारित है। इस आंकड़ों के आधार पर, यह रिपोर्ट हरियाणा में दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ की गई यौन हिंसा की प्रकृति और रूपों के साथ-साथ उनके लिए निवारण प्रदान करने में आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता का विश्लेषण करती है । यह गुणात्मक अनुसंधान अध्ययन पीड़िताओं के जीवन पर पर यौन हिंसा और बाद की आपराधिक न्याय प्रक्रिया के प्रभाओं को प्रदर्शित करने के लिए कई पीड़िताओं की कहानियों पर भी प्रकाश डालता है ।

यह प्रतिनिधि नमूना नहीं है, इसलिए इसके निष्कर्ष हरियाणा में यौन हिंसा के सभी मामलों या यहां तक कि हरियाणा में दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के सभी मामलों के लिए सामान्य निष्कर्षों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, इन मामलों में 'स्वाभिमान सोसाइटी' द्वारा पीड़िताओं को दी जाने वाली कानूनी और पैरालीगल सहायता का निष्कर्षों के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव पड़ सकता था, जैसे कि पुलिस के साथ मामले दर्ज हो पाना, या यहां तक कि दोषसिद्धि की दर भी, जो उन मामलों में भिन्न हो सकती है जहां एक पीड़िता को किसी गैर-सरकारी संगठन का समर्थन नहीं मिला । इस रिपोर्ट में शामिल जानकारी में अगस्त २०२० इन मामलों की स्थिति पर आधारित है, हालांकि कुछ मामलों की स्थिति भविष्य में बदल सकती है क्योंकि कई मामले अभी भी चल रहे हैं । COVID-19 महामारी में आवश्यक हो गए लॉकडाउन के चलते कई मामलों के परीक्षणों में देरी हुई है, जो अभी भी चल रहे हैं ।

मामलों और पीड़ित/अभियुक्त व्यक्तियों की पृष्ठभूमि

40 प्रलेखित मामलों में घटनाओं के स्थान और वर्ष तथा पीड़ित और अभियुक्त व्यक्तियों की उम्र और जातिगत पृष्ठभूमि का अवलोकन, एक पृष्ठभूमि प्रदान करता है; जिसके परिपेक्ष्य में, आपराधिक न्याय प्रणाली से गुज़रते इन मामलों की यात्रा पर, इस अनुसंधान के निष्कर्षों को पढ़ा जा सकता है ।

अध्ययन किए गए सभी 4o मामले दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के मामले थे ।

घटना का स्थान
अध्ययन किए गए मामलों को हरियाणा के 22 जिलों में से 11 से लिया गया है । सिर्फ इसलिए कि 'स्वाभिमान सोसाइटी' इन जिलों में यौन हिंसा पीड़ितों को समर्थन देने में सक्रिय रूप से काम करता है। सबसे ज्यादा मामले हिसार (7 मामले) और कैथल (6 मामले) से सामने आए। सोनीपत और कुरुक्षेत्र जिले से भी 5-5 मामले सामने आए।

हरयाणा जिला नक्शा

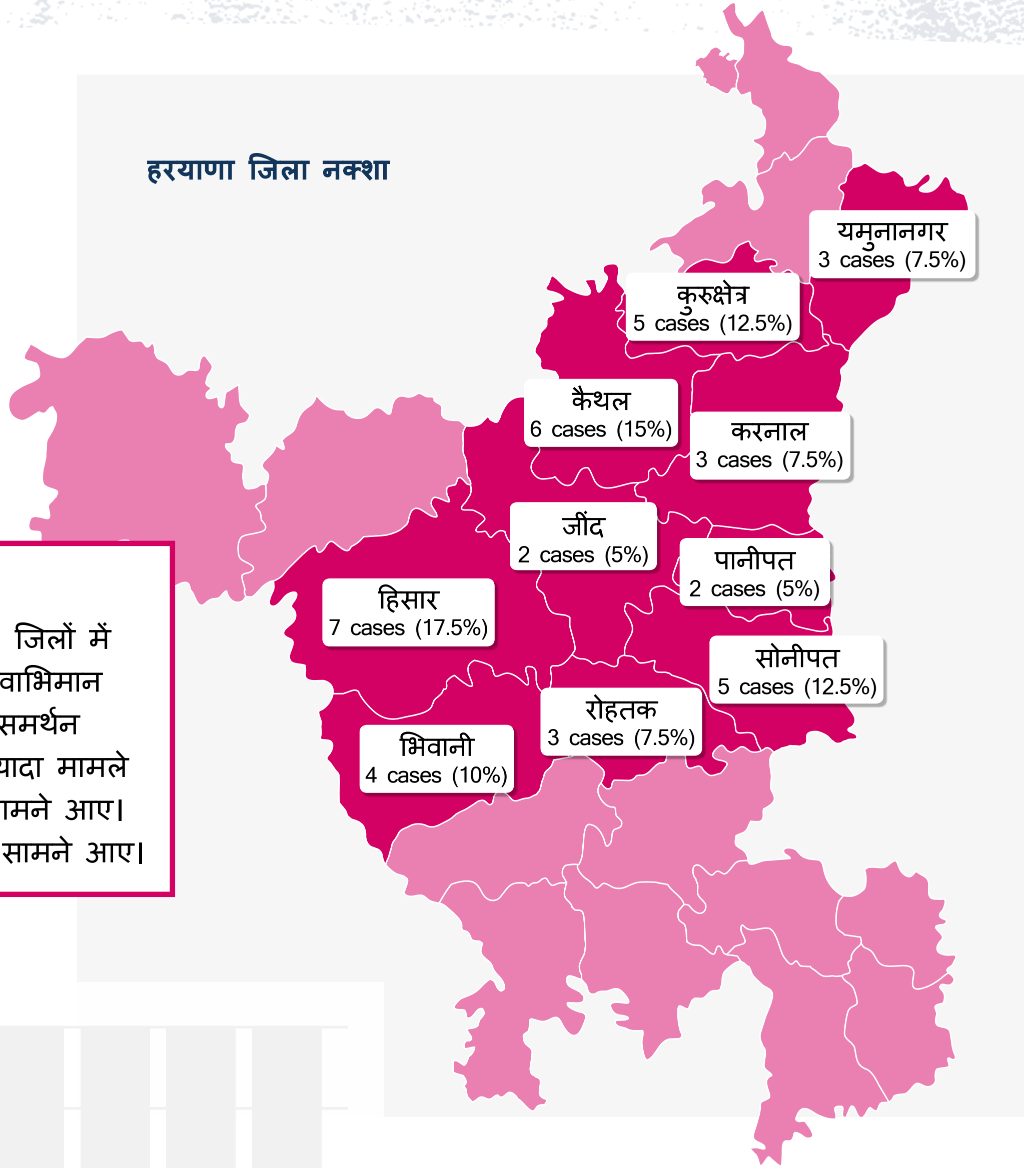

घटना का वर्ष
इस रिपोर्ट में शामिल मामले 12 वर्षों की अवधि, 2009-2020, में हुई बलात्कार की घटनाओं पर आधारित हैं ।

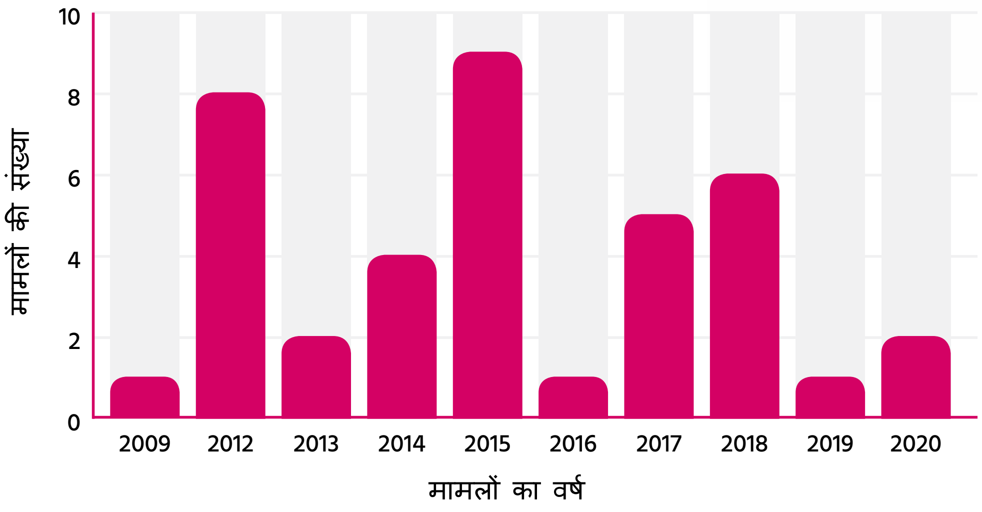

पीड़िता की आयु

अध्ययन किए गए मामलों में पीड़ित सभी आयु-वर्गों से आते है, जिसमें सबसे कम उम्र की पीड़ित एक ऐसी लड़की थी जो केवल 3 साल की थी । 4 मामलों में पीड़िता की सही उम्र दर्ज नहीं की गई है, उपलब्ध आंकड़ों में सिर्फ यही प्रदर्शित किया गया है कि इनमें से 2 मामले वयस्क महिलाओं के खिलाफ थे, जबकि 2 मामले 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के खिलाफ थे ।

जिन मामलों के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से सबसे ज्यादा पीड़ित 13 से 17 साल की उम्र के वर्ग के हैं । इसके अलावा, कुल मिला के इन ४० मामलों में अधिकतर मामले 13 और 29 साल के बीच की आयु की लड़कियों और युवा महिलाओं के बारे में हैं ।

युवा दलित लड़कियों के खिलाफ मामलों की अधिक संख्या यह दर्शाती है कि किशोरियों पे यौन हिंसा का खतरा ज्यादा है । 2019 के हरियाणा के आधिकारिक एनसीआरबी डाटा द्वारा बाल पीड़ितों की अधिक संख्या की पुष्टि की गई है, जिसमें 2018 में पंजीकृत दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ 221 बलात्कार मामलों में से 101 (लगभग 45%) में 18 साल से कम उम्र की लड़कियां पीड़ित थी ।

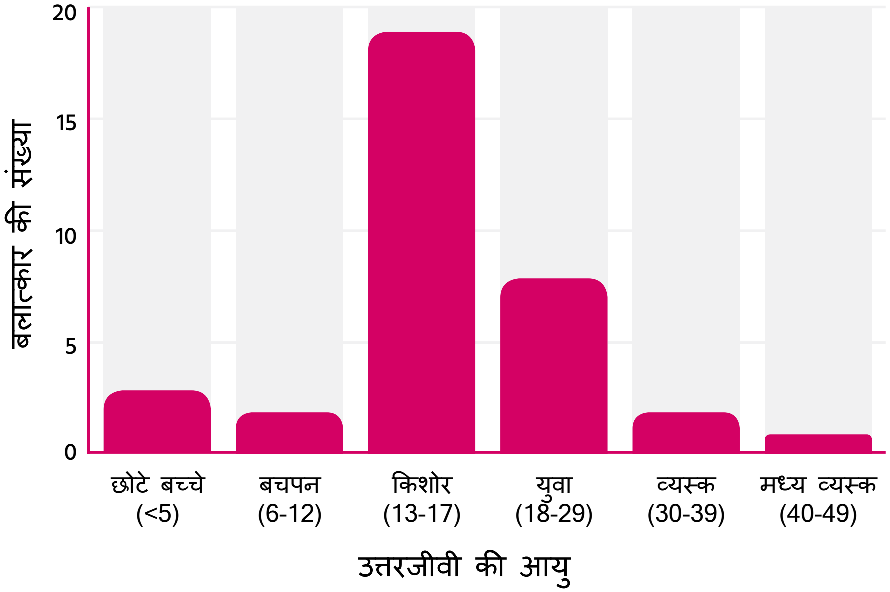

आरोपी व्यक्तियों की जाति पृष्ठभूमि

दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अपराधों के मामलों में अक्सर आरोपियों की जाति और सामाजिक स्थिति पीड़ितों की न्याय तक पहुंच को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। इस अध्ययन में 80% से अधिक मामलों में सारे अभियुक्त दबंग जाति से थे, और 90% से अधिक मामलों में, कम से कम एक अभियुक्त व्यक्ति दबंग जाति से था।

ये निष्कर्ष 2019 में हरियाणा एससीआरबी (SCRB) के आधिकारिक आंकड़ों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो बताते हैं कि दलित महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के 105 मामलों में, 88.5% मामलों में अपराधी गैर-अनुसूचित जाति समुदाय से थे।[19] दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा के यह अपराध जिस उच्च दर से दबंग जाति समुदायों के पुरुषों द्वारा किये जाते हैं, वह इस बात को पुनः रेखांकित करता है कि बलात्कार का अपराध ताकत से जुड़ा है, सेक्स से नहीं । ऐसे मामलों में, ताकत की अभिव्यक्ति के रूप में बलात्कार का उद्देश्य अक्सर जातिगत दबदबा बनाये रखना, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के उतार-चढ़ाव को काबू में रखना होता है ।

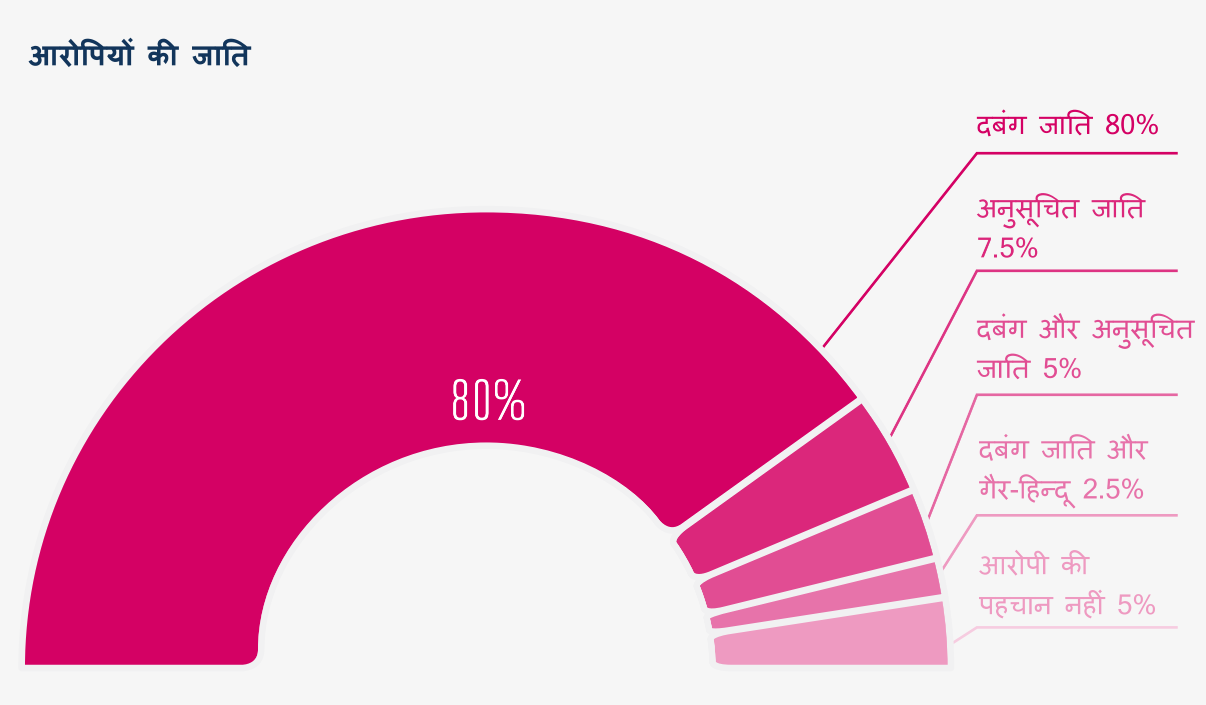

दलित महिलाओं और लड़कियों को दी गईं यौन प्रताड़नाओं के रूप

सामूहिक बलात्कार

हरियाणा को अक्सर भारत की "सामूहिक बलात्कार राजधानी" के रूप में जाना जाता है, क्योंकि राज्य में होने वाले सामूहिक बलात्कारों की संख्या काफी अधिक है।[20] एनसीआरबी द्वारा 2018 में दर्ज आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि बलात्कार के कुल मामलों में से लगभग 12% सामूहिक बलात्कार शामिल थे, जबकि 2019 में, कुल बलात्कार मामलों में से लगभग 11% सामूहिक बलात्कार शामिल थे।[21] दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ किए गए सामूहिक बलात्कार की संख्या के संबंध में अलग से कोई विशेष आधिकारिक, राज्य व्यापी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

अध्ययन में शामिल 40 मामलों में से 62.5% (25 मामले) सामूहिक बलात्कार के मामले हैं, जो हरियाणा की सारी महिलाओं और लड़कियों से जुड़े बलात्कार के मामलों में 11-12% सामूहिक बलात्कार की तुलना में काफी अधिक है। सामूहिक बलात्कार का उच्च प्रतिशत, जैसा कि इस अध्ययन में पाया गया है, इस अपराध की सामूहिक प्रकृति को इंगित करता है, जिससे दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा दबंग जाति के सदस्यों द्वारा ताकत और सत्ता के सामूहिक अभ्यास का रूप ले लेती है ।[22]

सामूहिक बलात्कार का प्रतिशत

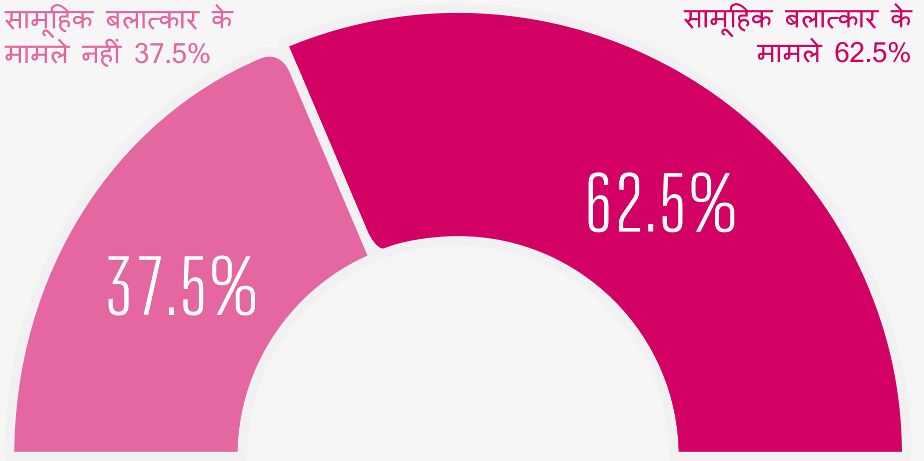

बलात्कार/सामूहिक बलात्कार और हत्या

40 मामलों में से चार (10%) बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के साथ हत्या के मामले थे जबकि 2018 में हरियाणा में सारी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ 1296 बलात्कार के मामलों में से 26 बलात्कार और हत्या के मामले थे(लगभग 2%)। 2019 में, यह आंकड़ा और भी कम था, हरियाणा में सारी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ 1480 बलात्कार के मामलों में से 6 बलात्कार और हत्या के मामले थे (लगभग 0.4%) ।

इन निष्कर्षों से पता चलता है कि हरियाणा की सारी महिलाओं और लड़कियों की तुलना में दलित महिलाओं और लड़कियों को बलात्कार के अधिक गंभीर और हिंसक रूपों का सामना करना पड़ता है जैसे कि सामूहिक बलात्कार और बलात्कार/सामूहिक बलात्कार के साथ हत्या ।

उत्तरजीवी/पीडिता कहानी: रेखा *

* नाम बदल दिया गया है

रेखा 16 साल की दलित लड़की अपने पड़ोस में एक किराने की दुकान पर गई। दुकान पर 46 वर्षीय दुकान मालिक ने उसे मुफ्त नाश्ता देने की पेशकश की और उसे अंदर आने के लिए बुलाया । जब उसने मना कर दिया तो उस व्यक्ति ने रेखा को उसके स्टोर में जबरन घुसाकर कर उसके साथ बलात्कार किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार देगा । हमले के बाद वो आदमी उसके पीछे-पीछे उसके घर तक आया और उसका पीछा करने लगा । कई बार वह उसके घर आया जब वह अकेली थी और उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे । वह उन अन्य स्थानों पर भी दिखाई देने लगा जहां वह जाती थी , जिसमें एक खेल का मैदान भी शामिल था, जहां वह खेल का अभ्यास करती थी । छह माह तक आरोपी ने रेखा के साथ बार-बार बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि अगर वह चुप नहीं रही तो उसे और उसके माता-पिता को जान से मार देगा । अपनी जान के डर से उसने खुद पे हो रही इस प्रताड़ना के बारे में किसी से बात नहीं की ।

आखिरकार, रेखा गर्भवती हो गई लेकिन उसे तब तक एहसास नहीं हुआ जब तक उसके पेट में दर्द महसूस नहीं हुआ और उसके परिवार वाले उसे एक डॉक्टर के पास ले गए, जिसने रेखा को बताया कि वह छह महीने की गर्भवती है। तब जाके रेखा ने अपने परिवार को यह बताया कि वो कैसी प्रताड़ना से जूझ रही है ।

> **"रेखा ने एक पुलिस शिकायत दर्ज की लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने में धीमे थे।"**

रेखा ने एक पुलिस शिकायत दर्ज की लेकिन अधिकारी कार्रवाई करने में धीमे थे और दुकान मालिक के परिवार ने पुलिस पर मामला टाल देने का दबाव डाला। जब एक मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार के सबूतों की पुष्टि हुई, उसके बाद ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया । रेखा के मामले की पुलिस जांच जारी है और सरकार ने उसे कोई परामर्श या अन्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान नहीं की हैं। उसे बच्चे को रखने के लिए अपने गाँव छोड़ना पड़ा और गर्भावस्था के दौरान, सरकारी अधिकारियों ने उसे एक अस्पताल के एक छोटे, गंदे कमरे में कैद कर के रखा, उसके और उसके बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त भोजन के बिना ।

रेखा COVID-19 महामारी और सरकारी तालाबंदी के दौरान गर्भवती थी, इसका मतलब था कि उसके परिवार के लिए उनके गांव से हर दिन भोजन पहुंचाना मुश्किल था। जब रेखा का समर्थन करने वाले कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को उन खराब स्थितियों के बारे में शिकायत की जिनमें उसे रखा जा रहा था, तो उनके वहां रेखा से मिलने जाने पर ही रोक लगा दी गई । हालांकि, अपने समर्थकों द्वारा मामले में हस्तक्षेप को आगे बढ़ाने के बाद, रेखा को अंततः एक बेहतर कमरे में ले जाया गया और उसने अपने बच्चे को जन्म दिया।

अपनी बेटी के आने के बाद, रेखा स्कूल की परीक्षाओं की पढाई करने के लिए घर लौट आई, जो उसके अस्पताल में रहने के दौरान छूट गई थी। वह कानूनी रूप से सरकार से मुआवजे की हकदार है, लेकिन जब उसने आवेदन किया तो उसे ये बोला गया कि राज्य के अधिकारियों के पास वर्तमान में भुगतान करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। इस पैसे के बिना रेखा और उसके परिवार के लिए गुज़र-बसर करना मुश्किल हो गया है और उन्होंने बच्चे को गोद देने का फैसला किया है ।

COVID-19 तालाबंदी के नियमों ने पुलिस जांच में प्रगति में देरी की है और डीएनए रिपोर्ट अभी भी लंबित है। जब तक रेखा ने बच्चे को जन्म दिया, तब तक उसे और उसके परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई थी । इसे बाद में हटा लिया गया और अब उस पर अपने समुदाय के लोगों द्वारा ज़बरदस्ती किये जाने , धमकाए जाने और हिंसा का खतरा है, जो उस पर आपराधिक मामले को आगे न लड़ने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हालांकि, वे मामले को अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ हैं और अंततः न्याय प्राप्त करने के लिए आशान्वित हैं।

न्याय के रास्ते में दीवारें

जिन यौन हिंसा के मामलों का इस अध्ययन के तहत विश्लेषण किया गया है, उनमें हरियाणा में दलित यौन हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय के रस्ते में मौजूद गंभीर बाधाएं प्रदर्शित होती हैं, जिन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग करने में जाति, वर्ग और यौन भेदभाव के चौतरफा मिलेजुले रूपों का सामना करना पड़ता है । नीचे हमने इनमें से कुछ बाधाओं को छांटा है।

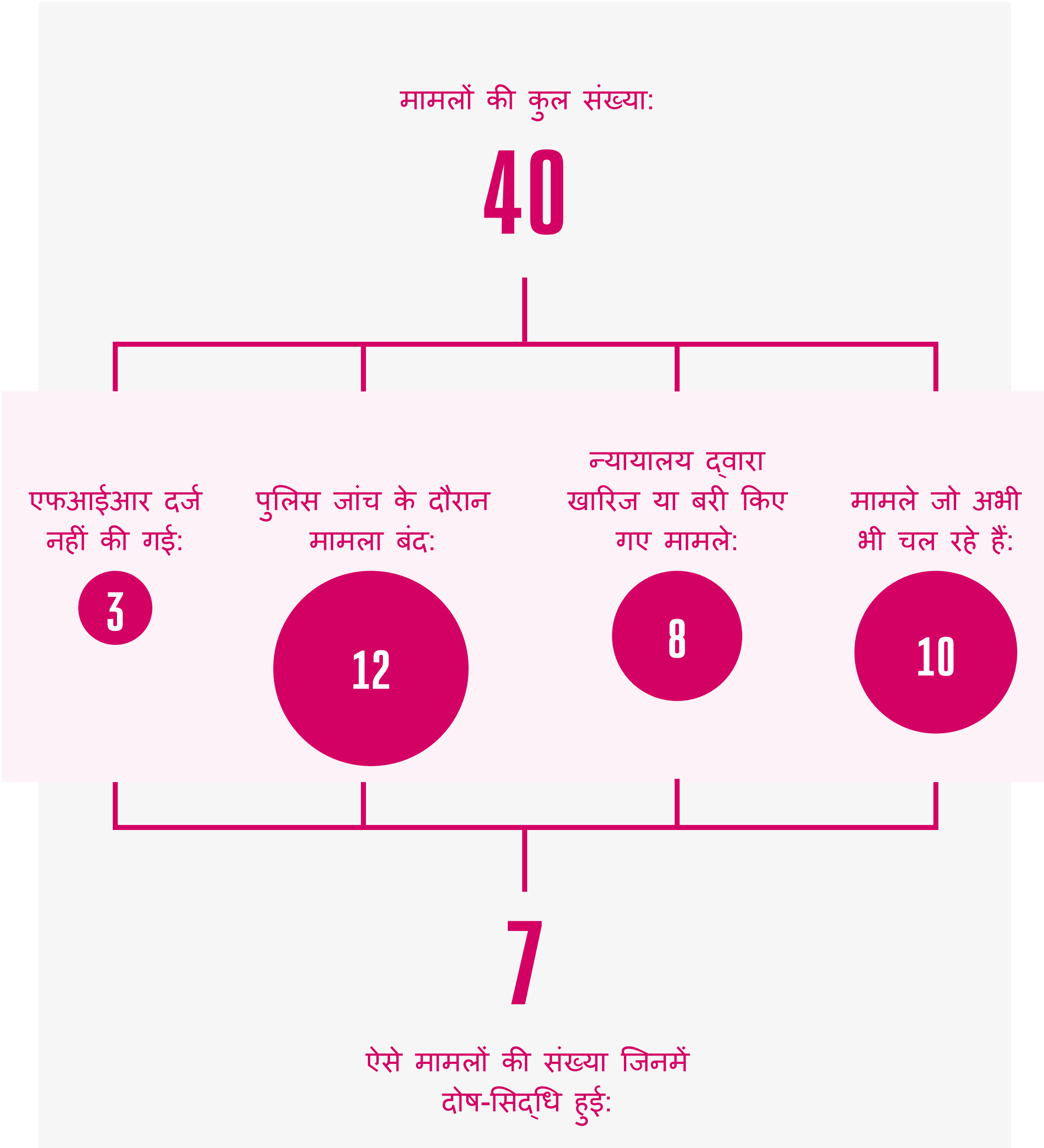

सामुदायिक दबाव और कलंक

हरियाणा में दलित महिलाओं और लड़कियों के लिए बलात्कार के मामलों में सामुदायिक गुटों द्वारा हस्तक्षेप शायद सबसे बड़ी बाधा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से संकेत मिलता है कि यौन हिंसा का सामना करने वाली 90% महिलाओं और लड़कियों ने कभी सहायता की मांग नहीं की।[23] बलात्कार के मामलों की शिकायत से जुड़े कलंक के कारण यौन हिंसा के अधिकांश मामले गुमनाम ही रहते हैं। दलित महिलाओं और लड़कियों के लिए यह और भी जटिल समस्या है, खासकर जब अपराधी किसी दबंग जाति से हो । दलित महिलाओं और लड़कियों की ओर से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की कमी उन्हें दबाव और धमकियों का, खासकर दबंग जाति के गुटों द्वारा, आसान शिकार बनाती है ।

बलात्कार के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए कलंक और दबाव

अध्ययन किए गए 40 मामलों में से 37 में प्रथम सुचना(FIR) दर्ज की गई थी, यानी 92.5% मामलों में। जिन तीन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, उनमें पीड़ित विभिन्न कारणों से कानूनी कारवाही तक नहीं पहुँच पाए जैसे कि सामाजिक और सामुदायिक दबाव और बलात्कार से जुडी चुप्पी और कलंक की संस्कृति, जिसके कारण उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम यह नहीं बता सकते हैं कि इस रिपोर्ट में अध्ययन किए गए मामले बलात्कार के उन

मामलों का प्रतिनिधीत्व करते हैं या नहीं जिनमें रिपोर्ट ही नहीं की जाती । आमतौर पर, मामले स्वाभिमान सोसाइटी के ध्यान में तब आते हैं जब पुलिस शिकायत दर्ज की जाती है या तब जब पीड़ित या उनके परिवार उनसे मामले में मदद की गुहार करते हैं।

एक दलित पीड़ित अगर हिंसा के बारे में चुप न रहे, तो उसे दबंग जाति के अपराधियों से प्रतिशोध और हिंसा, आम समाज से समर्थन की कमी और उसके परिवार से दबाव के डर का सामना करना पड़ सकता है । इस तरह के प्रतिशोध में आगे और हिंसा, घर और रोज़ी-रोटी से निकाला जाना और अपराधी द्वारा नकली 'उल्टे' आपराधिक मामले दर्ज करने की संभावनाएं शामिल हो सकती हैं । दलित समुदायों के भीतर आंतरिक पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट/ लिंग-भेद से भरी सांस्कृतिक समझ भी ऐसी स्थितियों को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो पीड़ित मामले की रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं, वे अक्सर अपने परिवारों और समुदाय द्वारा कलंकित किये जाने और बहिष्कार का सामना करते हैं।[24]

> एक मामले में, एक दलित महिला का तीन दबंग जाति के पुरुषों द्वारा बलात्कार किया गया, जिनमें गाँव का सरपंच(प्रधान) भी शामिल था। जब पीड़ित एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन गई, तो अपराधियों द्वारा उसे थाने में ही यौन और शारीरिक हमले की धमकी दी गई और सरपंच ने रिपोर्ट करने पर उसका गांव से बहिष्कार करने की धमकी दी। पीडिता को पुलिस से कोई मदद या सुरक्षा नहीं मिली, बावजूद इसके की ये सारी धमकियाँ थाने में पुलिस के सामने दी गई थी । अपने परिवार से किसी भी प्रकार के समर्थन के अभाव में (उसके पति ने पुलिस शिकायत दर्ज करने पर उसे तलाक देने की धमकी दी थी), पीडिता ने हार कर पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की ।

समझौते

अध्ययन के सबसे ज्यादा चोट करने वाले निष्कर्षों में से एक यह है कि 57.5% मामलों में (40 मामलों में से 23), पीडिता या उसके परिवार को, दबाव बना कर या ज़बरदस्ती, आरोपी/आरोपियों के साथ एक विधितर सेटलमेंट या 'समझौता' करने पर मजबूर किया गया, जिसके चलते वे आपराधिक मामले को आगे न लड़ने के लिए सहमत हो गए ।

इन मामलों में इस तरह के "समझौते" अभियुक्तों और आम समाज द्वारा पीड़ित या उसके परिवार पर विभिन्न प्रकार से दबाव डालकर करवाए गए थे, जैसे :

- गंभीर पलट-वार पुलिस केस दर्ज करना (उदाहरण के लिए, एक मामले में, अभियुक्त ने पीड़िता के परिवार पर अपने परिवार के एक सदस्य की मौत का दोष लगाने का प्रयास किया और पीड़िता के पति के ख़िलाफ़ 'आत्महत्या का दुष्प्रेरण' का आपराधिक मामला दर्ज कर दिया)
- पीड़ित, उसके बच्चों या उसके परिवार को जान से मार देने कि धमकी समेत अन्य प्रकार की शारीरिक हिंसा और हमले की धमकियाँ
- आपराधिक जांच के परिणामों को प्रभावित करने के लिए पुलिस और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं पर राजनीतिक प्रभाव का उपयोग
- सामाजिक बहिष्कार के माध्यम से सामाजिक दबाव, या परिवार को गांव से भगा देना (या ऐसा करने की धमकी देना)
- आर्थिक प्रतिशोध, यानि पीडिता या उसके परिवार को नौकरियों से निकाले जाने की धमकी देकर, खासकर जब वे अपनी आजीविका के लिए दबंग जातियों पर निर्भर हों

इस तरह के समझौते को कानून के तहत अनुमति नहीं दी जाती और कायदे से बलात्कार के मामलों का फैसला करते समय अदालतों द्वारा इन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाना चाहिए । इस तरह के समझौते के बावजूद, न्याय प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता नहीं देती है और तब तक जारी रहेगी जब तक कि मामला आधिकारिक रूप से पुलिस या अदालतों द्वारा बंद नहीं किया जाता या इनका निपटारा नहीं किया जाता।

ऐसे मामलों की संख्या जिनमें समझौता हुआ

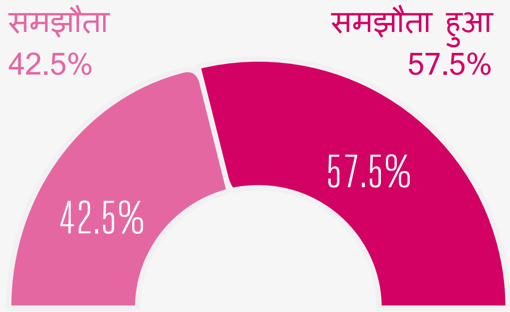

'रामफल बनाम हरियाणा राज्य' में भारत का सर्वोच्च न्यायालय:

"[इ]स बात पर जोर देना अनिवार्य है कि हम बलात्कार के अपराध से संबंधित मामलों में और इस प्रकार के यौन उत्पीड़न के अन्य मामलों में इस तरह के समझौते को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इस मामले को तय करने में उपरोक्त समझौते की कोई प्रासंगिकता नहीं है।"[25]

लेकिन वास्तविकता यह है कि जब पीड़ितों को ऐसे विधितर समझौते करने पर मजबूर कर दिया जाता है, तो आमतौर पर आपराधिक न्याय प्रक्रिया पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समझौता होने के कारण पीड़ित या तो पुलिस को दिए गए अपने बयान बदल देते हैं, आपराधिक न्याय प्रक्रिया में अपना सहयोग वापस ले लेते हैं, साक्षी के रूप में "पक्षद्रोही" बन जाते हैं; जिसके चलते विवादित सबूतों के कारण आमतौर पर दोषसिद्ध असंभव सी हो जाती है । हमारी जानकारी के अनुसार, पुलिस पीडिता से उसके हृदय परिवर्तन के बारे में आगे कोई और पूछताछ नहीं करती है, और न ही प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसी भी तरह से उसका समर्थन करने की पेशकश करते हैं या न्याय के हित में उसकी भागीदारी के बिना ही मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय भी नहीं लेते ।

खाप पंचायतों की भूमिका

न्याय के रास्ते में बाधाएं डालने वाले समुदायों की एक और उल्लेखनीय विशेषता है, आरोपी व्यक्ति के समर्थन में पारंपरिक खाप पंचायतों (अनौपचारिक ग्राम सभाओं) की भूमिका और समझौता स्वीकार करने के लिए पीडिता या उसके परिवार को डराना या धमकाना। ये खाप पंचायतें जाति-आधारित समुदाय समूह हैं, जो आम तौर पर दबंग जाति के सदस्यों से बने होते हैं, जो अक्सर विवादों को निपटाने में अनौपचारिक रूप से अर्ध-न्यायिक निकायों के रूप में कार्य करते हैं। इन खाप पंचायतों को 'ऑनर किल्लिंग' के आदेश देने या अन्य अत्याचारों के आदेश जारी करने या उन्हें प्रोत्साहित करने तथा अंतर-जातीय विवाह को रोकने के प्रयास करने के लिए जाना जाता है।

उन मामलों का प्रतिशत जिनमें खाप पंचायत ने किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप किया

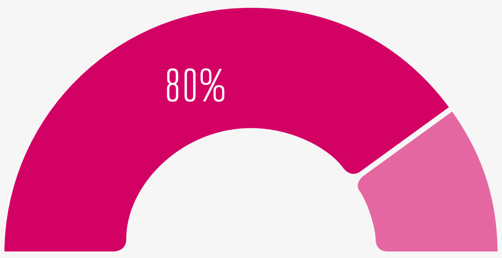

अध्ययन किये गए मामलों में से कम से कम 80% मामलों में खाप पंचायत सदस्यों द्वारा किसी न किसी रूम में हस्तक्षेप किया गया है । 2.5% मामलों में खाप पंचायत का कोई हस्तक्षेप नहीं था और शेष 17.5% मामलों में इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि खाप पंचायतें "कानून को अपने हाथ में लेती हैं और कुल मिलाकर ये कंगारू-अदालतें/ जंगल-राज-की-अदालतें हैं, जो पूरी तरह से अवैध हैं।"[26] हालांकि, खाप पंचायतों का कामकाज और प्रभाव हरियाणा में विशेष रूप से मजबूत है, 2013 के एक अध्ययन में पाया गया है कि 50% उत्तरदाताओं ने खाप पंचायतों द्वारा जारी किए गए फैसलों को स्वीकार किया।[27]

चूँकि ये खाप पंचायतें आमतौर पर किसी विशेष गाँव की दबंग जाति के व्यक्तियों से बनती हैं, इसलिए वे अक्सर अपराधी का समर्थन करते हैं यदि वह भी एक दबंग जाति से हो।[28] इन खाप पंचायतों द्वारा कब्ज़े में ली हुई भारी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति उन्हें मामले में समझौता करवाने के लिए पीड़ितों और उनके परिवारों पर दबाव डालने की अनुमति देती है, जिसमें अपनी सामाजिक और राजनितिक शक्ति का प्रयोग कर के मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों को धमकाने या रिश्वत देने, आर्थिक और शारीरिक प्रतिशोध की धमकी, सामाजिक बहिष्कार, गाँव या अन्य ऐसे साधनों से निकाले जाने जैसे अन्य तरीके शामिल हैं ।

> स्वाभिमान सोसाइटी द्वारा समर्थित मामलों में से एक में, 13 वर्षीय एक लड़की का एक दबंग जाति समुदाय के 3 पुरुषों के समूह द्वारा सामूहिक बलात्कार किया गया था। हालांकि उसके परिवार ने तुरंत एक आपराधिक मामला दर्ज किया, लेकिन उन्हें आरोपियों के परिवार के सदस्यों द्वारा हत्या की धमकी दी गई। परिवार को डराने और धमकाने के लिए गांव के कई लोग एकजुट हो गए, सामाजिक बहिष्कार की धमकियां दी गई । पीडिता की माँ, जो एक विधवा थी, उसी दबंग जाति के एक परिवार के घर में काम करती थी, और अब उसे अपनी नौकरी खोने का डर लगने लगा । घटना के बाद, पीडिता की मां ने विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया, जो कानूनी रूप से उसका हक था। लेकिन, सरपंच ने परिवार से बदला लेने के लिए, पंचायत प्रमुख के रूप में अपने पद्द का इस्तेमाल करते हुए, इस पेंशन का भुगतान करने से इनकार कर दिया। अंततः, दलित समुदाय के सदस्यों के सामूहिक रूप से संगठित होने और दबाव डालने के बाद ही, उसने अपना कर्तव्य निभाया और पेंशन का भुगतान किया। सामुदायिक सदस्यों द्वारा लगाए गए संयुक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबाव और धमकी ने परिवार को मामले से समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया ।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा में एक प्रथा प्रचलित है कि पुलिस यौन हिंसा के मामलों में अपराध स्थल की ऑन-द-स्पॉट मौका जांच के दौरान सरपंच (ग्राम प्रधान) को पंच (स्वतंत्र पर्यवेक्षक या गवाह) के रूप में नियुक्त करती है। दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के मामलों में, सरपंच की यह आधिकारिक भूमिका पंचायत सदस्यों (मुख्यतौर पर दबंग जाति समुदायों से आने वाले) को बलात्कार के मामलों में आपराधिक न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और बाधा डालने की और भी क्षमता प्रदान कर देती है।

पुलिस का रवैया, निष्क्रियता, भ्रष्टाचार और भेदभाव

जिन 37 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उनमें से 12 को पुलिस जाँच के दौरान ही बंद कर दिया गया - या तो पुलिस ने मामले को झूठा घोषित कर दिया, या अपर्याप्त साक्ष्य का कारण बता दिया और इस तरह पुलिस आरोप पत्र दायर करने में विफल रही। इन सभी 12 मामलों में समझौता/विधितर-सेटलमेंट हुआ।

पुलिस जांच के दौरान बंद किये गए कई मामलों में, पुलिस ने खुद सक्रिय रूप से न्याय के रास्ते में बाधाएं डालीं, जिसमें मामले को वापस लेने के लिए उत्तरजीवी/पीडिता और उसके परिवार पर दबाव डालना और धमकाना शामिल था, और कभी-कभी अपराधियों के साथ मिलीभगत भी थी। पुलिस के साथ काम करते समय यौन हिंसा से संघर्षरत लोगों के विभिन्न मुद्दों पर नीचे चर्चा की गई है।

एफआईआर से जुड़ी समस्याएं

बलात्कार केसों को दर्ज करने से पुलिस का इनकार - इस तथ्य के बावजूद कि बलात्कार के मामलों में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना पुलिस अधिकारियों के लिए एक आपराधिक अपराध है,[29] यौन हिंसा से संघर्षरत लोगों, विशेषकर दलित महिलाओं और लड़कियों को, यह सुनिश्चित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि पुलिस बलात्कार के मामले को दर्ज करे । पुलिस अधिकारी अक्सर शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज न करने करने के लिए दबाव डालते हैं या प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करते हैं । एफआईआर के पंजीकरण में देरी से मामले की सफलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसके कई परिणाम हो सकते हैं, खासकर इससे चिकित्सा साक्ष्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और अपराधियों और समुदाय के सदस्यों को पीड़ितों पर मामले को छोड़ देने के लिए दबाव डालने के लिए अधिक समय मिल सकता है ।

सूचना देने में पुलिस की विफलता - यहां तक कि उन मामलों में जहां अंततः एफआईआर दर्ज की गई थी, पुलिस अधिकारी अक्सर उत्तरजीवी को एफआईआर की एक प्रति प्रदान नहीं करते हैं, जब्कि शिकायतकर्ता को कानून के तहत इसे प्राप्त करने का अधिकार है।[30] अधिकांश पीड़ित अपने कानूनी अधिकारों से अनजान होते हैं और कई मामलों में, यहां तक कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और पीड़ितों के लिए लड़ने वाले वकीलों द्वारा हस्तक्षेप के बावजूद, पुलिस या तो साफ़ इनकार कर देती है, या अनजाने में एफआईआर की एक प्रति प्रदान करने में देरी करती है। यह मामले को ट्रैक करने या उस पर नज़र रखने में एक विशेष समस्या बन जाता है, और अपने हमलावरों पर आरोप लगाने की पीडिता की योग्यता और पात्रता की अवहेलना करता है। अन्य मामलों में, पुलिस अधिकारियों को पीड़िता को सूचित किए बिना, एफआईआर में विवरण को बदलते हुए पाया गया है, जैसे कि घटना के विवरण में संशोधन कर देना, तारीखों को बदलना (ताकि आरोपी अन्यत्र उपस्थिति स्थापित कर सके), आरोपी व्यक्तियों के नाम हटाना, आदि।

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने के प्रति पुलिस की अनिच्छा - मामलों को एससी एंड एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत दर्ज करने में होने वाली कठिनाई को व्यापक रूप से प्रलेखित किया गया है।[31] हमारी रिपोर्ट के लिए अध्ययन किए गए 40 मामलों में से, तीन मामलों में (तीन के अलावा, जिसके लिए कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी), हालांकि आरोपी किसी दबंग जाति समुदाय से था, पुलिस एससी एंड एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रही । शेष मामलों में भी, पुलिस ने एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत केवल कार्यकर्ताओं द्वारा बार-बार थाने जाने और प्रतिनिधित्व के बाद ही मामले दर्ज किए, जब्कि दंड प्रक्रिया के अनुसार उनको शिकायत में निहित जानकारी के आधार पर ही ऐसा कर लेना चाहिए । मामलों में मीडिया, अदालतों या कार्यकर्ताओं द्वारा हस्तक्षेप के बिना, पुलिस दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जातिगत अत्याचार के मामलों को दर्ज करने के लिए बेहद अनिच्छुक है।[32]

पुलिस का रवैया और पीड़ित पर दोषारोपण

सेक्सिस्ट/लिंग-भेद से युक्त और जातिवादी नजरिए के कारण, पुलिस अधिकारी बलात्कार की शिकायत करने वालों पर विश्वास नहीं करना चाहते, दलित महिलाओं और लड़कियों पर तो खासकर । पीड़ितों या उनके परिवारों के खिलाफ जाति आधारित गालियों सहित, अत्यधिक अनुचित और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों के उदाहरण आम हैं। पीड़ितों के प्रति पुलिस अधिकारियों द्वारा दिखाए गए असंवेदनशील और अक्सर अपमानजनक व्यवहार उन्हें और अधिक पीड़ित करते हैं।

> कैथल जिले में एक सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में, जब पीड़ित का परिवार जांच की प्रगति के बारे में पूछताछ करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से सम्मान के साथ व्यवहार किया, उन्हें बिठाया, चाय पेश की। लेकिन, पीड़ित परिवार के प्रति उनका व्यवहार स्पष्ट रूप से भिन्न था। पुलिस अधिकारी परिवार पर चिल्लाए और उनका अपमान इस प्रकार किया: "ओह! तो आ गए तुम । तुम धानक समाज (एक दलित जाति) के हो । तुम्हारी जाति का नाम कौन लेगा? तुम क्या चाहते हो? हमने तुमसे कहा था न कि अगर हमें कोई खबर मिलेगी, तो हम तुमको खबर कर देंगे । फिर तुम यहाँ क्यों आते रहते हो? जाओ ... और हमें परेशान करने के लिए यहाँ मत आना।" पीड़ित परिवार का यह भी मानना है कि इस मामले में, रिश्वत लेने के बाद, पुलिस ने प्राथमिकी में घटना की तारीख को बदल दिया ताकि आरोपी यह दिखा सके कि वह अपराध के समय दूसरे शहर में था।

बलात्कार उत्तरजीवियों का पुलिस थानों से निकाला जाना -
पुलिस के रवैये और संवेदनशीलता की कमी से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के प्रयास में, 2013 के आपराधिक कानून संशोधनों ने यौन हिंसा के मामलों में जानकारी का महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना अनिवार्य बना दिया।[33] 2013 के संशोधनों को लागू करने का एक माध्यम महिला-थानों की स्थापना करना था, जिनमें सारे अधिकारी और कर्मचारी महिलाएं हिन् होती हैं । अन्य पुलिस स्टेशनों के अधिकारी अक्सर बलात्कार के पीड़ितों को भगा देते हैं और उनसे महिला-थानों में जाने को कहते हैं, जब्कि बलात्कार के मामलों के लिए कानूनी तौर पर महिला-थानों में ही पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। हरियाणा ने केवल 34 महिला-थाने स्थापित किए हैं, इसलिए कई जिलों में पूरे जिले के लिए केवल एक महिला-थाना है।[34] इससे बलात्कार पीड़ितों को पहले से भी दूर जाना पड़ता है , कभी-कभी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, इन ख़ास महिला-थानों में रिपोर्ट लिखवाना उनकी मुश्किलों को कम करने कि बजाये और बाढा देता है; यह न्याय की प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से अधिक कठिन और अधिक महंगा बना देता है ।[35]

पुलिस में प्रशिक्षण की कमी है और भेदभाव भी करती है -
महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा यौन हिंसा की शिकायतों को दर्ज करने की अनिवार्यता के कारण बलात्कार पीड़ितों द्वारा सहे जाने वाले बर्ताव में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि महिला पुलिस अधिकारियों के पास प्रशिक्षण की कमी होती है और अक्सर बलात्कार पीड़ितों के प्रति असंवेदनशील होते हैं। इसके अलावा, जब उत्तरजीवी/पीडिता दलित समुदाय से होती है, तो पुलिस अधिकारी (पुरुष या महिला) जिनमें से अधिकांश दबंग जाति के समुदाय से होते हैं, जाति के आधार पर भी भेदभाव करते हैं और इसलिए पीड़ितों पर उनकी जाति के कारण अविश्वास करने का खतरा होता है और वे अक्सर प्रमुख जाति के अपराधियों द्वारा हथियाई हुई राजनीतिक और आर्थिक शक्ति से भी प्रभावित रहते हैं ।

पुलिस में जातिगत विविधता का अभाव

हरियाणा में अनुसूचित जाति समुदायों के पुलिस कर्मियों के लिए 15% पद अरक्षित हैं। हालांकि, इस आरक्षण कोटे के बावजूद, पुलिस में कुल पदों का केवल 6.15% ही दलित पुलिस अधिकारियों द्वारा भरा जाता है। इसका मतलब यह है कि हरियाणा ने आरक्षित पदों में से केवल 41% को भरा है और अगर इस कोटा को पूरा करने की बात करें, तो यह देश के सबसे खराब राज्यों में से एक है, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नम्बर पर हरियाणा ही है।[36] इसके अतिरिक्त, महिला-थानों में शायद ही कभी दलित पुलिस अधिकारी होते हैं।[37] पुलिस बल में विविधता और सामान्य जाति-आधारित भेदभाव की यह कमी पुलिस द्वारा यौन हिंसा के दलित पीड़ितों के प्रति बर्ताव को प्रभावित करती है।

मानवाधिकार परिषद को भेजी गई 2014 की एक रिपोर्ट में, 'महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिनिधि (UN Special Rapporteur on Violence against Women)' ने दलित और आदिवासी महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली हिंसा और "भेदभाव के कई और मिलेजुले रूपों" पर प्रकाश डाला और कहा कि "सेवाओं तक पहुँच के संबंध में पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों द्वारा कारित वस्तुत: वास्तव में जाति-आधारित भेदभाव" की कई शिकायतें हैं.[38]

पुलिस के भीतर भ्रष्टाचार

एक और प्रमुख मुद्दा पुलिस बल के भीतर भ्रष्टाचार का है। कुछ मामलों में, यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिस आर्थिक रूप से प्रभावशाली आरोपी व्यक्तियों से पैसे लेती है और उनके पक्ष में सबूत पेश करती है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं।[39] कई बार, पुलिस पीड़ितों पर भी समझौता करने के लिए दबाव डालती है, भले ही पुलिस को कानूनी तौर पर ऐसे मामलों को निपटाने की अनुमति न हो।[40] आईपीसी की धारा 166-ए के तहत इस तरह की हरकतें प्रतिबंधित हैं, जो लोक सेवकों के लिए जानबूझकर अवज्ञा करना, किसी भी व्यक्ति के पक्षपात, कानून की किसी भी दिशा को आपराधिक जांच के तरीके को विनियमित करने को अपराध घोषित करती है।[41] हालाँकि, हमारी जानकारी के अनुसार, पुलिस अधिकारियों पर शायद ही कभी ऐसा मुकदमा चलाया जाता है या अन्यथा ऐसे अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

उदाहरण के लिए, एक मामले में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर उसकी एक छात्रा, एक किशोरी दलित लड़की, के साथ ने बलात्कार का आरोप लगाया था। अपराधी, जो "उच्च" जाति के समुदाय से था, उसने मामले में समझौता करने के लिए उत्तरजीवी/पीडिता के परिवार पर दबाव डालने के लिए अपने समुदाय के सदस्यों और ग्राम पंचायत को लामबंद कर लिया । उसने कथित तौर पर पुलिस को रिश्वत दी, जिन्होंने फिर जांच में देरी की और साथ ही पीडिता के परिवार पर समझौते के लिए मंजूरी देने के लिए दबाव डाला । उत्तरजीवी/पीडिता और उसके भाई-बहनों को उस स्कूल को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया जहां अपराधी प्रिंसिपल था और पुलिस और समुदाय सहित सभी पक्षों से भारी दबाव के चलते उत्तरजीवी/पीडिता का परिवार उसकी ओर से समझौता स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया। तब पुलिस ने मामला बंद कर दिया।

उत्तरजीवी/पीडिता कहानी: सावित्री *

* नाम बदल दिया गया है

भारत में हासिये के समुदायों में जीने वाले कईयों की तरह, सावित्री और उसके पति परशु अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूरों के रूप में काम करते हैं, जहां रोदुरी वाला, असुरक्षित होता है, और अक्सर शोषणकारी और असुरक्षित परिस्थितियों में लंबे समय तक कठोर श्रम से भरा होता है ।

परशु ने अमन नाम के एक शख्स से पैसे उधार लिए, लेकिन लौटाने के लिए संघर्ष करता रहा। एक दिन अमन, जो एक दबंग जाति से था, पैसे लेने आया और जब परशु ने और समय मांगा, तो अमन ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। बाद में उस शाम वह परिवार के एक सदस्य के साथ वापस आ गया और उन दोनों ने चिल्ला-चिल्ला कर परशु और सावित्री को जाति-आधारित गलियाँ दीं। दंपती ने पुलिस को फ़ोन कर के मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं आया।

अमन सावित्री और परशु पर उनके घर में हमला करने के लिए 20 और लोगों को लाया। भीड़ ने घर की बिजली काट दी और अंधेरे की आड़ में उन्होंने परशु और उसके भाई को पीटा। और सावित्री, सावित्री को उन लोगों ने घूंसे, डंडों और लाठियों से पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ बलात्कार किया।

भयानक शोर सुनकर, पड़ोसी परिवार के बचाव के लिए पहुंचे और हमलावर भाग गए। हालांकि, जाने से पहले, उन्होंने सावित्री और परशु को धमकी दी कि अगर उन्होंने पुलिस को हमले की सूचना दी तो वे मारे जाएंगे। अपने अनुभव के आघात और प्रतिशोध के डर से दंपति ने पुलिस में शिकायत नहीं की। इसके बजाय, वे इलाज करवाने अस्पताल गए और गुप्त रूप से फोरेंसिक चिकित्सा जांच करने के लिए कहा, लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उनकी जांच करने से इनकार कर दिया क्योंकि कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। सावित्री की चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसने अस्पताल में एक सप्ताह रहना पड़ा ठीक होने के लिए । इस बीच, अमन ने उत्पीड़न का अपना अभियान जारी रखा और मोटरबाइक से कुचल कर परशु का पैर तोड़ दिया ।

> "पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों के सहायता करने वाले एनजीओ स्टाफ को चीख-चीख कर अपमानजनक गालियां दीं"

यद्यपि आपराधिक आरोप लगाए जाने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कानूनी कर्तव्य है, पुलिस अधिकारी ने सहायता करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने आरोपी के अपराधों को इस आधार पर उचित ठहराया कि अमन परशु से पैसा मांगता था। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों के सहायता करने वाले एनजीओ स्टाफ को चीख-चीख कर अपमानजनक गालियां दीं और उन्हें थाने से बाहर निकाल दिया।

आखिर पुलिस मान गई कि वो अगले दिन प्राथमिकी दर्ज कर लेंगे । प्राथमिकी दर्ज करने के जवाब में प्रतिक्रिया काफी तेज थी , जिसमें खाप पंचायत (अनौपचारिक ग्राम परिषद) और समुदाय के अन्य सदस्य के हाथों सावित्री और उसके परिवार को दुश्मनी और धमकियों का सामना करना पड़ा । उन्हें अपना गाँव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनकी समस्याएं तब और बढ़ गईं जब अमन के परिवार द्वारा उनके खिलाफ झूठा केस कर दिया गया ।

सावित्री और परशु को मामले में समझौता करने के लिए सहमत होने के बाद ही उनको घर लौटने दिया गया । दंपति में अब गवाही देने की हिम्मत नहीं रही, इसका मतलब यह था कि आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और मामला अदालत द्वारा बंद कर दिया गया। पुलिस और स्थानीय समुदाय के भीतर पक्षपात के कारण न्याय के लिए पहुँच से वंचित, सावित्री और परशु अपने गाँव में दुश्मनी का सामना करते रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास इसे सहन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, बल्कि इसे सहना ही एकमात्र रास्ता है।

प्रभावी पीड़ित और गवाह संरक्षण का अभाव

जमीनी स्तर पर प्रभावी पीड़ित और गवाह संरक्षण की कमी से पीड़ितों और उनके परिवारों पर अपराधियों और उनके को परिवारों द्वारा धमकी, प्रतिशोध, ज़बरदस्ती और डराए जाने का खतरा रहता है, जिसमें शारीरिक हिंसा का उपयोग भी हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर पीड़ितों को उनकी गवाही को बदलने और पुलिस या न्यायिक प्रक्रिया के साथ सहयोग करने से इनकार करने के लिए मजबूर किया जाता है।[42]

पुलिस सुरक्षा प्राप्त करना कठिन - राष्ट्रीय गवाह संरक्षण योजना 2018 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थन दिया गया है,[43] लेकिन इसे अभी तक हरियाणा सहित अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय योजना को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित किए जाने के लगभग दो साल बाद सितंबर 2020 में आधिकारिक गजट में राज्य-स्तरीय हरियाणा गवाह संरक्षण योजना की कानूनी अधिसूचना जारी की।[44] जमीनी स्तर पर, अधिकारियों को बार-बार शिकायत करने के बावजूद, पीड़ितों और गवाहों के लिए पुलिस सुरक्षा प्राप्त करना मुश्किल है। पुलिस अक्सर सुरक्षा के प्रावधान के लिए पुलिस अधिकारियों की कमी का दावा करती है। यह देखना अभी बाकी है कि हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना कितनी प्रभावी ढंग से लागू होगी।

जो भी सुरक्षा प्राप्त हुई, अपर्याप्त और अल्पकालिक ही हुई - प्रभावी शिकार और गवाह सुरक्षा के लिए एक और बड़ी बाधा पुलिस द्वारा सहयोग की कमी है।[45] यह देखा गया है कि उन कुछ मामलों में भी जहां पीड़ितों की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी लगाये जाते हैं, उन मामलों में भी वे अक्सर आरोपित व्यक्तियों से सहानुभूति रखते हैं, या कथित तौर पर उनसे रिश्वत लेते हैं और इसलिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते या आरोपी व्यक्ति और उनके साथियों की हरकतों पर आंखें मूंद लेते हैं । इसके अलावा जितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है, उस की भी सीमाएं हैं - यह आमतौर पर कुछ महीनों के बाद वापस ले लिया जाता है। ज्यादातर मामलों में, ट्रायल कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, भले ही उत्तरजीवी/पीडिता को अभी भी अभियुक्त के परिवार या समुदाय के सदस्यों से प्रतिशोध का खतरा हो।

2014 में एक बलात्कार के मामले में, जाट (दबंग) जाति के एक जमींदार ने एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया और उसे धमकी देकर कहा, "तू मेरा क्या कर लेगी? मैंने तेरी जाति की 9-10 लड़कियों के साथ ऐसा किया है।" उत्तरजीवी/पीडिता के पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद, जब उसे पुलिस वैन में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था, आरोपी और अन्य जाट समुदाय के सदस्यों के परिवार ने उसे डराने के लिए वैन के साथ-साथ अपनी कार चलाई। अगले दिन, जब वह मजिस्ट्रेट को अपना बयान देने के लिए अदालत जा रही थी, तो उन्होंने रास्ते में उसके वाहन को रोक दिया और उसे केस आगे न बढ़ाने के लिए डराया और उसके परिवार के सदस्यों को मारने की धमकी दी। जब पीडिता ने इन घटनाओं के बारे में पुलिस उपाधीक्षक से शिकायत करने का प्रयास किया, तो वो महिला पुलिस अधिकारी, जो मेडिकल परीक्षण के लिए जाते समय उसके साथ थी, उसने इस तथ्य से इनकार किया कि अस्पताल के रास्ते में आरोपियों के साथियों द्वारा उन्हें परेशान किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने पीडिता के धमकी के अनुभवों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस से सुरक्षा या समर्थन के बिना, अपने जीवन के डर से, उत्तरजीवी/पीडिता ने मामले में समझौता कर लिया और बलात्कार के संबंध में अपना बयान बदल दिया।

मेडिको-लीगल परीक्षा से संबंधित समस्याएं

मेडिको-लीगल केयर पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों का खराब क्रियान्वयन

2014 में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यौन हिंसा पीड़ितों के लिए मेडिको-लीगल केयर पर दिशानिर्देश जारी किए (2014 दिशानिर्देश)।[46] इन दिशानिर्देशों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा यौन हिंसा का खुलासा करने वाली महिलाओं और लड़कियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना या ऐसी सेवाओं के लिए किसी अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास रेफेर करना अनिवार्य है। उनमें बलात्कार उत्तरजीवी/पीडिता की फोरेंसिक परीक्षा के संचालन के लिए प्रोटोकॉल शामिल हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तरजीवी/पीडिता की गोपनीयता, गरिमा और स्वायत्तता का सम्मान किया जाए। लेकिन, हरियाणा के कई अस्पतालों में ये दिशानिर्देश खराब तरीके से लागू किए गए हैं।

भेदभाव और खराब व्यवहार के आरोपों के साथ ही, प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया - फोरेंसिक परीक्षा के संचालन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है और चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों में भी जाति-आधारित भेदभाव और कथित भ्रष्टाचार है, जिसके परिणामस्वरूप वे अनिर्णायक रिपोर्ट या आरोपी के पक्ष में मेडिकल रिपोर्ट जो जारी करते हैं । मेडिकल रिपोर्ट की प्रतिलिपि अक्सर उत्तरजीवी/पीडिता या पीड़ित के परिवार को प्रदान नहीं की जाती है।[47] अस्पताल में मामला दर्ज करने में पुलिस अधिकारियों द्वारा देरी के कारण, या अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं या उपकरणों की उपलब्धता की कमी के कारण, अक्सर चिकित्सा परीक्षा में रूकावट आती है। और यह 2014 के उन दिशानिर्देशों के बावजूद जिनके मुताबिक अगर चिकित्सा परीक्षण बलात्कार के 72 घंटे से अधिक समय के बाद किया जाता है, तो फोरेंसिक साक्ष्य का मूल्य "बहुत कम" हो जाता है।

> कुरुक्षेत्र जिले के एक मामले में, जिसमें एक पांच साल के बच्ची का बलात्कार शामिल था, एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद, पीड़िता का परिवार उसे दोपहर में करीब 12:30 बजे अस्पताल ले गया। लेकिन, डॉक्टर न होने की वजह से परिवार को इंतजार करने के लिए कह कर, अस्पताल ने उस पूरे दिन में चिकित्सा परीक्षा आयोजित नहीं की । अगले दिन दोपहर लगभग 3 बजे, अस्पताल के कर्मचारियों ने उत्तरजीवी/पीडिता के परिवार को सूचित किया कि फोरेंसिक जांच के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। पीड़िता को आखिरकार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के सहयोग से सोनीपत जिले के दूसरे अस्पताल (100 किलोमीटर से अधिक दूर) में ले जाना पड़ा, ताकि चिकित्सीय जांच हो सके।

उत्तरजीवी/पीडिताओं को अब भी दर्दनाक "टू-फिंगर टेस्ट" से गुज़रना पड़ता है

हमारे अध्ययन में पाया गया कि हरियाणा के कई अस्पतालों द्वारा कई मामलों में बलात्कार पीड़िताओं की कानूनी-चिक्तिसीय-परीक्षण के अंतर्गत अब भी प्रतिबंधित और अंदरूनी हस्तक्षेप वाली डॉक्टरी जांच "टू-फिंगर टेस्ट"(दो उंगली परीक्षण) किया जाता है। इस जांच के अंतर्गत एक स्वास्थ्य कर्मचारी पीड़िता की योनि में दो उँगलियाँ डाल कर यह निर्धारित करने के प्रयास करता है कि क्या हाइमेन टूट गया है और योनि में कितना ढीलापन है । परीक्षण का उपयोग अक्सर यौन पीड़िताओं को "सेक्स की आदि" घोषित करने के लिए किया जाता है। यद्यपि बलात्कार के मुकदमे में यौन इतिहास अप्रासंगिक है, लेकिन आरोप पर संदेह पैदा करने के लिए पिछले संभोग के चिकित्सीय सबूतों का उपयोग किया जाना कोई दुर्लभ बात नहीं है । परीक्षण का उपयोग यह घोषित करने के लिए किया जाता है कि या तो पीड़िता बलात्कार के बारे में झूठ बोल रही है, या ऐसा दिखाने के लिए कि बलात्कार हानिकारक नहीं था या फिर शिकायतकर्ता के चरित्र पर सवाल खड़ा कर के, इस अवधारणा का निर्माण करने की कोशिश की जाती है कि न्याय पर उसका उतना अधिकार नहीं है । यदि हाइमन अभी भी बरकरार हो, तो परीक्षण का उपयोग यह घोषित करने के लिए किया जाता है कि बलात्कार हो ही नहीं सकता था, हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि हाइमन के टूटे बिना बलात्कार हो सकता है। इसके अलावा, मानवाधिकार के नजर से, बलात्कार पीड़ितों पर एक ऐसा परीक्षण करना जिसका जांच की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है, महिलाओं और लड़कियों की व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन है और इन बलात्कार पीड़ितों के लिए आघात का एक और कारण बन सकता है।

अवैज्ञानिक, दर्दनाक और मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण, 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टू-फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।[48] स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी 2014 के दिशानिर्देश भी स्पष्ट करते हैं कि टू-फिंगर टेस्ट से यौन हिंसा के मामलों को कुछ हासिल नहीं होता ।

> **लिलू बनाम हरियाणा राज्य में भारत का सर्वोच्च न्यायालय:**[49]
>
> "[नि]स्संदेह, दो उंगली परीक्षण और इसकी व्याख्या बलात्कार पीड़ितों की गोपनीयता, शारीरिक और मानसिक अखंडता और गरिमा का उल्लंघन करती है।"

उत्तरजीवी/पीडिता कहानी: रीना और रोशानी *

* नाम बदल दिए गए हैं

एक दिन, रीना और रोशानी एक खेत के किनारे कच्ची सड़क पर जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गए। दोनों की उम्र बीस से तीस वर्ष के बीच थी, रीना छह महीने की गर्भवती थी और रोशानी की हाल ही में शादी हुई थी। इस दोनों के साथ उनके पड़ोस की छह अन्य दलित महिलाएँ और लड़कियाँ भी थीं। जब यह टोली लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तो उनका सामना सिख समुदाय के दो आदमियों से हुआ, जिनमें से एक ज़मींदार था।

उसने टोली की एक युवा लड़की के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, उसको नोचने और उसके शरीर पर खुद को रगड़ने लगा । वह विरोध में चिल्लाई और रीना, रोशानी और अन्य महिलाएं उसकी सहायता के लिए दौड़ीं ।

हमलावर ने अन्य लोगों को आने के लिए अपने मोबाइल फोन पर कॉल किया और जल्द ही चार लोगों का एक गिरोह लाठी लेकर पहुंचा और महिलाओं और लड़कियों पर हमला करने लगा। कुछ लड़कियां भागने में सफल रहीं और मदद की तलाश में चलीं गई, लेकिन रीना और रोशानी को उनके हमलावरों ने दबोच लिया । उनके साथ पांच लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि जब तक मदद पहुंचती, दोनों महिलाएं बेहोश हो चुकी थीं।

प्रताड़ना का यह सिलसिला अस्पताल में भी जरी रहा, जहाँ मेडिकल स्टाफ के हाथों उन्हें "दो उंगली परीक्षण" के रूप में जाना जानेवाले दर्दनाक, अंदरूनी-हस्तक्षेप वाले और अनावश्यक डाक्टरी जांच से गुजरना पडा । इन दो महिलाओं पर की गई ये जांच, जिनमें से एक गर्भवती थी और दूसरी विवाहित थी, इस मामले में विशेष रूप से हास्यास्पद थी, ।

हमले के बाद, रीना, रोशानी और उनके परिवारों को स्थानीय सिख समुदाय से डराने जाने और हिंसा की धमकी का सामना करना पड़ा। महिलाओं को चेतावनी दी गई थी कि अगर वे अपराधियों, जो एक दबंग जाति से थे, के खिलाफ शिकायत करने का प्रयास करती हैं, तो उन्हें गांव से जबरन निकाल दिया जाएगा। चूंकि दोनों परिवार मूल रूप से उस क्षेत्र के नहीं थे, इसलिए उन्हें अपने गांव में दूसरों से कोई सहायता नहीं मिली।

ऐसी जानकारी मिली थी कि बलात्कारियों और उनके समर्थकों ने एक स्थानीय राजनेता की मदद से रीना और रोशानी के मामले की देख रहे डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया । ऐसा लगता है कि इस कथित भ्रष्टाचार के परिणामस्वरूप डीएनए रिपोर्ट के परिणामों के साथ यह दिखाने के लिए छेड़-छाड़ की गई कि जिन पांच पुरुषों पर आरोप लगाया गया था, उनका डीएनए महिलाओं की सामूहिक-बलात्कार की चिकित्सा परीक्षाओं के दौरान एकत्र किए गए नमूनों से मेल नहीं खाता। हालांकि आरोपियों द्वारा बाद में शुरू किए गए समझौते के तथ्यों से उनके खिलाफ लगाये गए आरोप साफ़ हो गए ।

> "उनके बलात्कारियों को क्लीन-चिट मिल गई, क्योंकि दबंग जाति के सदस्य अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से प्राप्त विशेषाधिकार का इस्तेमाल भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर इस कानूनी मामले को प्रगति करने से रोक पाने में सक्षम थे।"

रीना ने अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन एक हिंसक हमले से उत्पन्न जटिलताओं के कारण उसे कठिन गर्भावस्था और प्रसव सहने पड़े और उसका बच्चा अब भी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहता है।भारी विरोध सहते हुए और गरीबी से जूझते हुए, रीना और रोशानी को कानूनी मामले में सहयोग वापस लेने के बदले में विधितर/आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट में पैसा स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नतीजतन, मुकदमा अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया।

रीना और रोशानी उस न्याय को पाने में असमर्थ रहे, जिसके वे हकदार थे और उनके बलात्कारियों को क्लीन-चिट मिल गई, क्योंकि दबंग जाति के सदस्य अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से प्राप्त विशेषाधिकार का इस्तेमाल भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर इस कानूनी मामले को प्रगति करने से रोक पाने में सक्षम थे।

न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे

इस रिपोर्ट में अध्ययन किए गए 40 मामलों में से केवल 25 ही परीक्षण के चरण में पहुंचे। इन 25 मामलों में से दस मामले अभी भी चल रहे हैं। 15 मामलों में एक मुकदमा पूरा हो चुका है (हालांकि इनमें से एक मामले में - एक गैंगरेप का मामला - मुकदमा केवल दो अभियुक्तों के लिए पूरा किया गया है, जब्कि शेष अभियुक्तों का मुकदमा अभी भी चल रहा है)।

इन 15 पुरे हो चुके मामलों में से, 50% (8 मामलों) को या तो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया या आरोपियों को बरी कर दिया गया। इन 8 मामलों में से 6 में, अपराधी और उत्तरजीवी/पीडिता के बीच समझौता हुआ था, जिसमें उत्तरजीवी/पीडिता ने अपना बयान बदल दिया या वह "पक्षविरोधी" गवाह में बदल गई , यानी उसने अपने पहले दिए गए बयान को गलत-बयान करार दिया। एक मामला आरोपी की मृत्यु के कारण बर्खास्त कर दिया गया था, तब वह जमानत पर बाहर था। एक अन्य मामले में, कोई समझौता नहीं होने के बावजूद अपराधी को बरी कर दिया गया । उस मामले में, उत्तरजीवी/पीडिता गरीब थी और एक निजी वकील को रखने में असमर्थ था। उत्तरजीवी/पीडिता के अनुसार, सरकारी वकील को मामले में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था ।

जिन 30 मामलों में कोई नतीजा निकाला गया है, उनमें से केवल 23.3% मामलों में ही सजा सुनाई गई।

जिन सात मामलों में दोषीसिद्धि हो पाई, उनमें से तीन मामलों में, सभी अभियुक्तों को दोषी नहीं ठहराया गया (तीनों सामूहिक बलात्कार के मामले थे)। इन तीन मामलों में, कुछ आरोपी या तो बरी हो गए या उनका मुकदमा अभी भी चल रहा है। इनमें से एक मामले में, आरोपी व्यक्तियों में से दो ने उत्तरजीवी/पीडिता को उनकी पहचान के संबंध में अपना बयान बदलने के लिए दबाव डाला। केवल एक बचे हुए आरोपी, जो कि अवयस्क था और एक गरीब परिवार से आता था, को ही दोषी ठहराया गया और दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई।

4 मामले जिनके नतीजों में सभी अभियुक्तों की दोषसिद्धि में सफलता मिली, यह गौर करने वाली बात है कि दो मामले बलात्कार और हत्या के थे और तीन मामलों (एक बलात्कार और हत्या के मामले सहित) में बहुत छोटी लड़कियों के बलात्कार शामिल थे (उम्र 6 या उससे कम)।

इस नमूने को देखने पर हम इस नतीजे पर पहुँचते है कि जघन्य अपराधों के चरम माने जाने वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों में अपराधियों को सजा दिलवाना एक अनूठे रूप में अत्यंत कठिन है, इतना कि किशोरियों और वयस्क महिलाओं के लिए न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जबकि दबंग जाति के अपराधी निकल जाते हैं, तब भी जब इन मामलों में पीड़ितों को मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों का सहयोग मिल पाता है। स्पष्ट रूप से यह प्रणाली अपराधियों को अपराध करने से रोकने के लिए प्रभावी नहीं है क्योंकि दबंग वर्गों के अभियुक्तों के पास क्लीन-चिट की परम्परा के अलावा भी बच निकलने के कई उपाय हैं ।

परीक्षण प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों द्वारा सामना किए गए कुछ विशिष्ट मुद्दों को नीचे उल्लिखित किया गया है।

पीड़ितों को अपने अधिकारों के बारे में कोई सलाह मश्वरा नहीं दिया गया

पुलिस अधिकारी शायद ही कभी पीड़ितों या उनके परिवारों को कानूनी प्रक्रिया या उनके अधिकारों के बारे में सूचित करते हैं, जिसमें पीड़ित का वकील का अधिकार भी शामिल है। राज्य द्वारा नियुक्त किए गए सरकारी वकील अक्सर उत्तरजीवी/पीडिता या उसके परिवार के साथ ज़रा भी बातचीत नहीं करते हैं और उन्हें मामले की प्रक्रिया या प्रगति के बारे में अपडेट या जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। इससे पीड़ितों और उनके परिवारों के पास हिम्मत रखने और केस को लड़ना जारी रखने के लिए कोई प्रेरणा नहीं बचती । सरकारी वकीलों द्वारा मामले में समझौता या सेटलमेंट करने के लिए पीड़ितों पर दबाव डालने की खबरें भी हैं।[50] कुछ मामलों में तो अभियोजक सुनवाई पर पहुंचे तक नहीं।

उदाहरण के लिए, यमुनानगर जिले में एक बलात्कार के मामले में, पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद, जिस नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया था उसके परिवार को अदालत से नोटिस मिला की सुनवाई के लिए अदालत आना है । जब वे अदालत में गए, तो अभियोजन पक्ष के लिए कोई वकील मौजूद नहीं था और उत्तरजीवी/पीडिता के परिवार को यह भी नहीं पता था कि वकील नियुक्त किया भी गया है या नहीं।

पीड़ितों को वकील से वंचित रखा गया

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम और इसके तहत निर्धारित नियमों के तहत, पीड़ितों को यह अनुरोध करने का अधिकार है कि उनकी पसंद के किसी बड़े वकील को उनके मामले में "विशेष सरकारी वकील" के रूप में नियुक्त किया जाए। यह प्रावधान न्याय प्रशासन में पीड़ितों में विश्वास को प्रेरित करने के लिए लाया गया था।[51] हालांकि, इस तरह के आवेदनों को सरकारी अधिकारियों द्वारा कई तरीकों से टाला जाता है। अक्सर यदि ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, तो मूल सरकारी अभियोजक मामले में उपस्थित होने से इंकार कर देता है। यह और राज्य द्वारा इस तरह के एक विशेष अभियोजक को नियुक्ती में देरी के परिणामस्वरूप मामले बीच में ही रुक जाते हैं ।

पीड़ितों को आक्रामक क्रॉस परीक्षा का सामना करना पड़ा

न्यायिक प्रक्रिया में बलात्कार के प्रति रूढ़िवादिता और मिथक आम हैं, खासकर पीड़िता के यौन इतिहास के संबंध में। परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के वकील आपत्तिजनक, असंवेदनशील और शत्रुतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं जो अक्सर अप्रासंगिक होते हैं। इस तरह की पूछताछ अक्सर एक महिला की गरिमा पर हमला है और उसे और उसके मामले को कमज़ोर करने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान आक्रामक सवालों से पीड़ितों की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय निर्धारित किए हैं, लेकिन आमतौर पर इनका पालन नहीं किया जाता है। दलित पीड़ितों और उनके परिवारों को उनकी जाति के आधार पर न्यायाधीशों और वकीलों द्वारा डराए जाने और अपमानित किये जाने की खबरें भी हैं।[52]

परीक्षण करने में देरी

पुलिस द्वारा बलात्कार के मामलों की जांच दो महीने की समय सीमा में पूरी करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में 2018 में संशोधन किया गया था। 2018 संशोधन से पहले, कानून में केवल बाल बलात्कार के मामलों में तीन महीने के भीतर पुलिस जांच पूरी करने की अनिवार्यता थी।[53] इसके अलावा, आरोप पत्र दाखिल करने के दो महीने के भीतर परीक्षण पूरा किया जाना चाहिए।[54] इस प्रकार, पुलिस जांच और मुकदमे को अब एफआईआर दर्ज करने के चार महीने के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है।

अध्ययन किये गए जिन सात मामलों में दोषसिद्धि प्राप्त की गई थी, उनमें जिस मामले में सबसे जल्दी केस खत्म किया गया उसमें जांच और परीक्षण लगभग 8.5 महीने में पूरा हुआ, जो केस सबसे लंबा चला उसमें एफआईआर दर्ज करने की तारीख और निर्णय जारी करने के बीच 2 साल और 8 महीने का समय था। इन सात मामलों में जांच और परीक्षण पूरा करने के लिए औसत समय लगभग 18 महीने था। ये सभी मामलों में COVID-19 महामारी से पहले ही फैसला हो चूका था और इस तरह तालाबंदी से समयसीमा प्रभावित नहीं हुई थी। यह अनुमान है कि वर्तमान में चल रहे मामलों में लॉकडाउन की वजह समयसीमा और भी लंबी होगी।

जो मामले अभी भी लंबित हैं, बलात्कार की घटना 2017 और 2020 के बीच हुई थी। सबसे पुराना मामला जो अभी भी लंबित है, जुलाई 2017 का है। इस मामले की पुलिस जांच 3 महीने के भीतर पूरी हो गई थी। हालाँकि, ट्रायल, जो अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि ट्रायल शुरू हुए तीन साल से अधिक हो गए हैं। COVID-19 की वजह से होने वाली देरी के गिन लें तोह भी, यह देरी वैधानिक सीमा से कई गुना ज्यादा है।

पीड़िता/परिवार पर प्रभाव और सहायता सेवाओं की कमी

32.5% मामलों में, बलात्कार की घटना के कारण लगने वाले कलंक और/या सामुदायिक दबाव के कारण उत्तरजीवी/पीडिता और कभी-कभी उसका पूरा परिवार गांव या पड़ोस छोड़ने के लिए मजबूर हो गए । कुछ 27.5% उनके घरों में बने रहे और 40% मामलों में जानकारी उपलब्ध नहीं है। कई मामलों में, उत्तरजीवी/पीडिता और कभी-कभी उसका परिवार गाँव में रहना केवल इसलिए जारी रख पाए क्योंकि वे समझौते के लिए तैयार हो गए ।

> एक लंबित मामले में चल रहे मुकदमे में तीन पुरुषों द्वारा एक नाबालिग दलित लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया (जिनमें से दो जाट समुदाय से थे - यानि दबंग जाति - और तीसरा दलित)। पुलिस ने परिवार को सूचित किया कि आरोपी व्यक्तियों ने पिछले दिनों इसी तरह के अपराध किए थे। फिलहाल मुकदमा चल रहा है और परिवार मामले को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ है। हालाँकि, परिवार को गाँव के 'उच्च जाति' के सदस्यों से गंभीर संघर्ष का सामना करना पड़ा है। पंचायत समिति (ब्लॉक विकास परिषद) के सदस्यों में से एक ने उत्तरजीवी/पीडिता की मां को धमकी दी और कहा: "मैं तेरी बेटी को ऊँची जात के आदमियों से उठवा लूँगा ।" समुदाय के साथ-साथ पंचायत सदस्यों के दबाव के कारण, उत्तरजीवी/पीडिता और उसके परिवार को गाँव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन केस वे लड़ रहे हैं ।

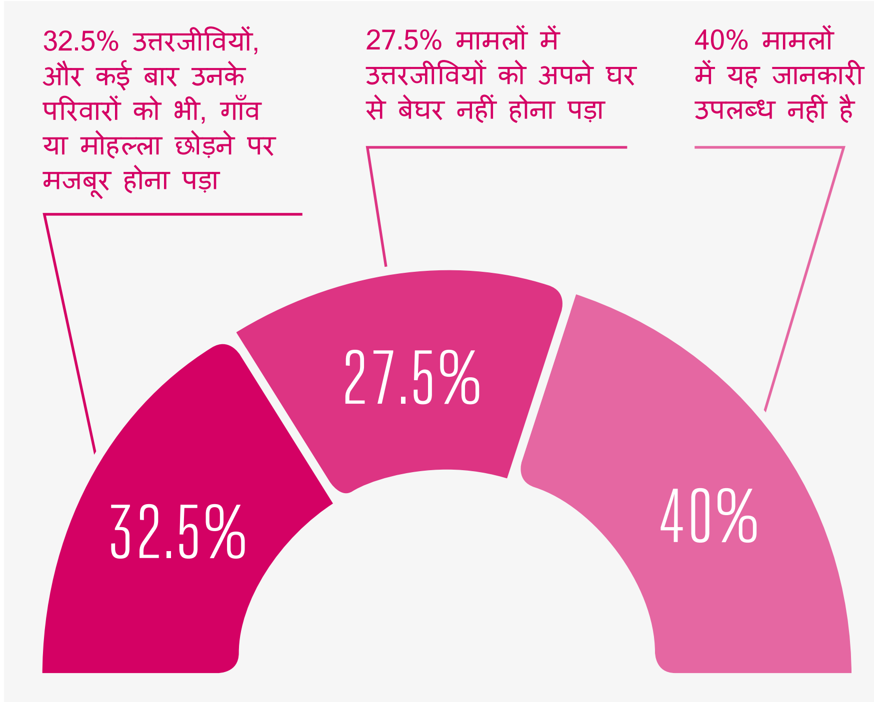

एक अन्य चिंता का विषय सामने आया है कि कई मामलों में, उत्तरजीवी/पीडिता (यहां तक कि वयस्क महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले में उत्तरजीवी/पीडिता के बच्चे) की पढाई रुक जाती है, कभी-कभी बिलकुल ही छूट जाती । परिजन ऐसे मामलों में बदले के डर से लड़कियों को स्कूल से निकाल लेते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी बेटियों को घर तक ही सीमित रखा जाता है।

बलात्कार के मामलों की रिपोर्ट करने वाले दलित महिला और कन्या पीड़ितों को जिस कलंक और प्रतिशोध पड़ता है, उसका पीड़ितों और उनके परिवारों पर जीवन भर का प्रभाव पड़ता है, जिन्हें उनके घरों से बेघर कर दिया जाता है या उनकी शिक्षा बाधित हो जाती है या पूरी तरह से बंद हो जाती है। कई मामलों में, आपराधिक मामले की सफलता पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पीड़ित या परिवार मामले में समझौता करने के लिए मजबूर हो जाते हैं ताकि वे अपने घरों में रहना जारी रख सकें।

बलात्कार के मामलों में पीड़ितों या पीड़ितों के परिवारों पर होने वाले विनाशकारी प्रभावों के बावजूद, पीड़ितों या परिवारों को दी जाने वाली अच्छी सहायता सेवाओं की कमी है, जैसा कि नीचे उल्लिखित है।

उत्तरजीवी/पीडिता कहानी: कमला और गुड़िया *

* नाम बदल दिए गए हैं

कमला चार साल की एक युवा माँ है। एक रात जब उसका पति काम पे गया हुआ था, उसने अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया । जब वह सुबह उठी तो उसकी बड़ी बेटी रोती हुई आई कि गुडिया, सबसे छोटी बच्ची गायब है।

पहले तो कमला को यही लगा कि छह साल की गुड़िया घर के पास ही कहीं खेल रही होगी और वो उसे आस-पास ही ढूंढने लगी । वो ढूंढते-ढूंढते अगले गांव में पहुंच गई। और तब एक पड़ोसी से पता चला कि कमला का सबसे बुरा डर सच हो गया है - गुडिया की हत्या कर दी गई थी और उसका शरीर एक सड़क के किनारे फेंक दिया गया था।

उसकी बेटी की मौत का खौफ कमला की बर्दाश्त के बहार था और वह बेहोश हो गई। जब तक उसे होश आया, पुलिस ने गुडिया के शरीर को पहले ही हटा दिया था और कमला को उसके बच्ची को देखने के मौका भी नहीं किया । पांच दर्दनाक दिनों तक, अधिकारी पीड़ित परिवार को यह बताने में विफल रहे कि गुडिय़ा को कहां ले जाया गया है। उन्हें पुलिस या किसी अन्य सरकारी संस्थान से कोई समर्थन नहीं मिला, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और कमला और उनके पति बिलकुल नहीं पता था कि उनके कानूनी अधिकार क्या हैं ।

> "कमला और उनके परिवार को अपराधी के समुदाय के सदस्यों से इस तरह के गंभीर आक्षेप और कलंक का सामना करना पड़ा कि उन्हें अपना गांव छोड़ के जाने के लिए मजबूर होना पड़ा ।"

मानवाधिकार संगठनों के हस्तक्षेप के चलते, पुलिस ने अंततः कमला को एफआईआर की एक प्रति प्रदान की। और क्योंकि गुडिय़ा दलित समुदाय से थी, इसलिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने यह सुनिश्चित किया कि बलात्कार के आरोप के अलावा, जातिगत उत्पीडन के अपराध का आरोप लगाया गया हो।

जांच के बाद, पुलिस ने कमला को बताया कि गुडिय़ा के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया था और उसे मार डाला गया था। एक प्रमुख जाति के एक पड़ोसी पर आरोप लगाया गया और मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाने के लिए आरोपियों के सहयोगियों के दबाव के बावजूद मुकदमे की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ी। नौ महीने के भीतर, अपराधी को अदालत ने दोषी पाया और कठोर श्रम के साथ 20 साल की सजा सुनाई। कानून के अनुसार, परिवार को आठ लाख का मुआवजा भुगतान भी मिला।

यद्यपि कानूनी न्याय प्राप्त कर लिया गया, लेकिन कमला और उनके परिवार को अपराधी के समुदाय के सदस्यों से इस तरह के गंभीर आक्षेप और कलंक का सामना करना पड़ा कि उन्हें अपना गांव छोड़ के जाने के लिए मजबूर होना पड़ा । वे गुडिय़ा की मौत के भावनात्मक आघात से बहुत पीड़ित हैं और उन्हें सरकार से कोई परामर्श या अन्य सहायता सेवाएं नहीं मिली हैं।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए कोष का अपर्याप्त उपयोग

देश में महिलाओं के बचाव और सुरक्षा को सुधारने के उद्देश्य से की जाने वाली पहल के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा "निर्भया फंड" की स्थापना की गई है। इन निधियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों को आवंटित किया जाता है, जिसमें एक-स्टॉप सर्विस सेंटर की स्थापना, सुरक्षित शहर परियोजनाएं, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष और ऐसे ही अन्य उद्देश्य शामिल हैं। लेकिन, केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2019 में जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा सरकार ने निर्भया फंड के तहत उसे आवंटित की गई कुल राशि के लगभग 36% को ही उपयोग में लाया है।[55]

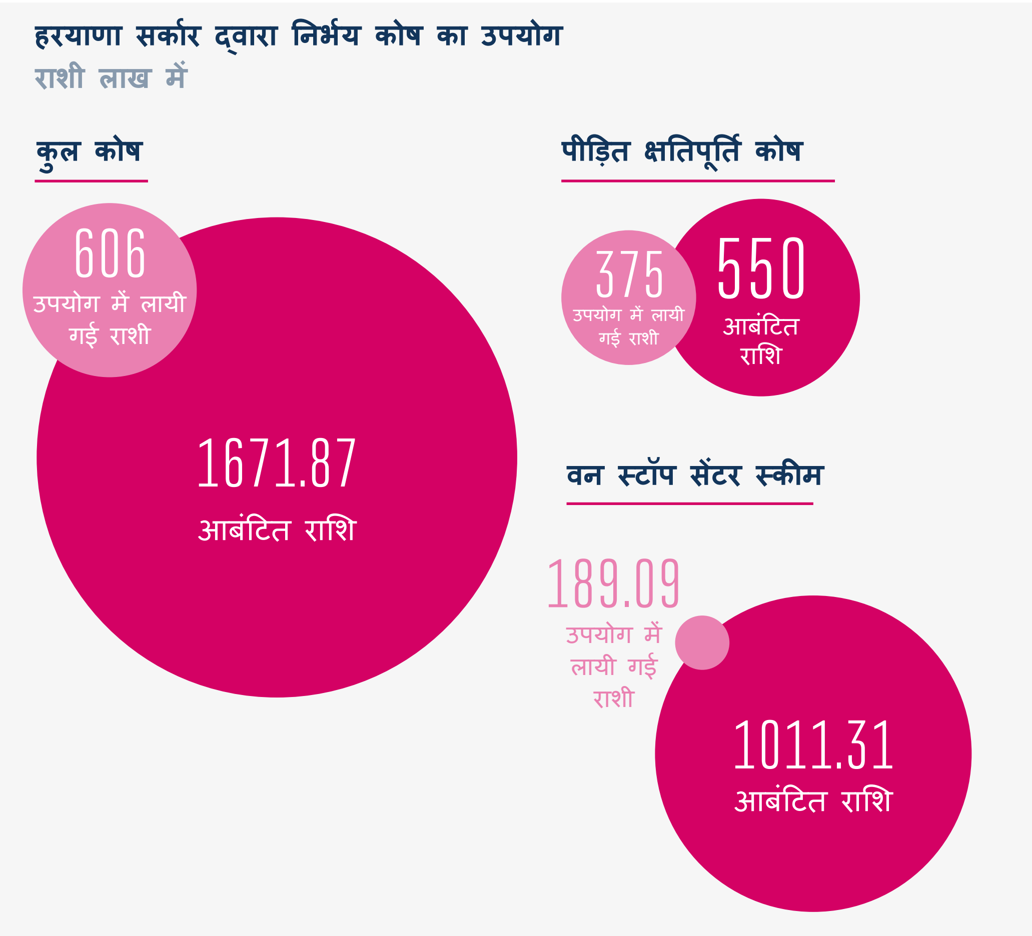

वन-स्टॉप सेंटरों के कामकाज की समस्याएं

निर्भया फंड के तहत आवंटित धन का एक बड़ा हिस्सा वन स्टॉप सेंटर्स (OSC) की स्थापना के लिए अलग रखा गया है। इन OSC का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना था । साथ ही साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के किसी भी रूप के खिलाफ लड़ने के लिए चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श समर्थन सहित कई सेवाओं में तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना था ।[56] हरियाणा में पहला OSC 2015 में करनाल में स्थापित किया गया था और महिला और बाल विकास मंत्रालय की जानकारी बताती है कि वर्तमान में हरियाणा में 22 OSC संचालित हैं।[57]

इस रिपोर्ट के लिए अध्ययन किए गए मामलों में से उन 24 मामलों में जो 2015 के बाद हुए, एक भी मामले में उत्तरजीवी/पीडिता को किसी OSC रेफर नहीं किया गया । कुछ उदाहरणों में, यहां तक कि जब उत्तरजीवी/पीडिता या उसके वकील ने पीड़ित के लिए आश्रय, परामर्श या मनोवैज्ञानिक सहायता के प्रावधान के लिए विशिष्ट अनुरोध किया, तब भी उसे पुलिस द्वारा OSC को रेफर नहीं किया गया या इन सेवाओं को प्रदान नहीं किया गया। यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या यह गैर-रेफरल OSC के चालू न होने के कारण है, पुलिस की ओर से जागरूकता की कमी से है या अन्य कारणों से है।

जैसा कि उपरोक्त आंकड़े में दिखाया गया है, नवंबर 2019 तक, हरियाणा सरकार ने OSC की स्थापना के लिए इसे आवंटित धन का 20% से कम का उपयोग किया था। धन का यह कम उपयोग OSC के कामकाज में परिलक्षित होता है, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह दर्शाता है कि कुछ OSC चालू नहीं हैं और बाकी कईयों में कामकाज के लिए बुनियादी सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी है।[58] इसके अलावा, पीड़ितों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, जो सेवाओं तक शीघ्र पहुंच प्रदान करने के लिए OSC के उद्देश्य के खिलाफ जाता है।[59] कुछ मामलों में, OSC के कर्मचारी भी "इज्जत" और कलंक से संबंधित पितृसत्तात्मक धारणाओं के कारण मामले में समझौता करने के लिए उत्तरजीवी/पीडिता पर दबाव डालते हैं या मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं ।[60]

पीडिता को मनो-सामाजिक और पुनर्वास सहायता सेवाओं प्रदान नहीं की गईं

यौन हिंसा पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली मनो-सामाजिक सहायता सेवाओं का अभाव प्रचलित है। इस रिपोर्ट के लिए अध्ययन किए गए लगभग 40 मामलों में, पीड़ितों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से परामर्श, पुनर्वास या कोई अन्य सहायता प्रदान नहीं की गई, उनको सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक जांच की ही चिंता थी ।

पीड़ितों को अस्थाई आश्रय देने और कठिन परिस्थितियों से उनकी रक्षा के लिए पुनर्वास सेवाएं और आश्रय घर अक्सर अनुपलब्ध होते हैं, और अध्ययन किए गए कई मामलों में, सरकारी अधिकारियों से बार-बार अनुरोध के बावजूद उत्तरजीवी/पीडिता को आश्रय या पुनर्वास प्रदान नहीं किया गया था। यहां तक कि जहां उपलब्ध हैं, उनकी परिस्थितियां भी बुरी तरह से अपर्याप्त हैं।[61] इससे भी बदतर, यह आश्रय घर, जिन्हें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, इनके के भीतर यौन शोषण और दुर्व्यवहार की बढ़ती खबरें सामने आई हैं ।[62]

मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाइयाँ

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357-ए के अंतर्गत, अपराधों के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए 'पीड़ित क्षतिपूर्ति कोष' स्थापित करना हर राज्य के लिए अनिवार्य है । मुआवजे का भुगतान दोषसिद्धि पर निर्भर नहीं है और उत्तरजीवी/पीडिता पुलिस शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद मुआवजे के एक हिस्से की हकदार है। 2018 में, राज्य स्तरीय विभिन्न क्षतिपूर्ति योजनाओं के तहत वितरित की गई मुआवजे की राशी में असमानता को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी राज्य 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण' द्वारा विकसित मुआवजा योजना का पालन करें, जिसके तहत बलात्कार पीड़ितों के लिए देय न्यूनतम क्षतिपूर्ति INR 4,00,000 होनी चाहिए। और सामूहिक बलात्कार पीड़ितों के लिए INR 5,00,000 ।[63]

इस अध्ययन में उन 37 मामलों में, जिनमे पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी, उनमें से केवल सात बलात्कार पीड़ितों ने मुआवजा प्राप्त किया था । 62% मामलों में मुआवजा नहीं मिला।

यहां तक कि सात में से दो मामलों में जहां मुआवजा मिला, सरकारी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मुआवजा नहीं मिला था, बल्कि केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सार्वजनिक आक्रोश और उन बलात्कार के मामलों की व्यापक मीडिया कवरेज के चलते आवंटित किया गया था । और अन्य दो मामलों में मुआवजा तब ही मिला जब मामले में दोषसिद्धि हो गई और अदालत ने इस तरह के मुआवजे को आवंटित करने के एक आदेश जारी किये।

कितने मामलों में मुआव्ज़ा मिला?

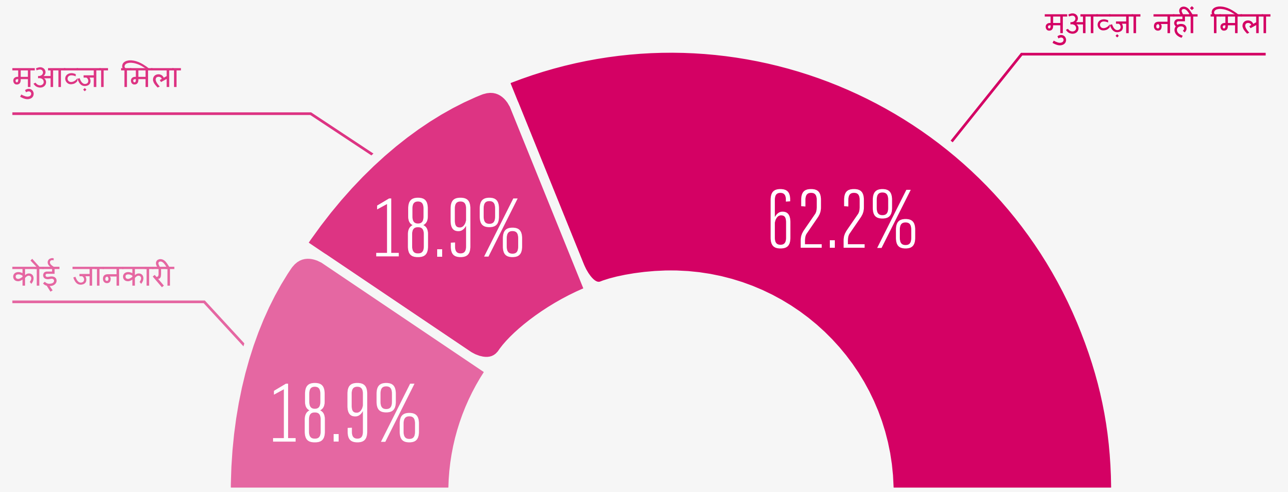

यह पहले ही प्रलेखित किया गया है कि कैसे, आमतौर पर, मुआवजा पाना पीड़ितों के लिए दुर्गम है, क्योंकि पीड़ित या उनके परिवारों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और वे मुआवजे के लिए आवेदन करने की जटिल प्रक्रिया से अनजान हैं।[64] यह हरियाणा में दलित पीड़ितों के संबंध में भी देखा जाता है, क्योंकि अक्सर पुलिस अधिकारी भी मुआवजा प्राप्त करने के पीड़ितों के अधिकार से अनजान होते हैं। उत्तरजीवी/पीडिता और उनके परिवार मुआवजे के लिए ऐसे आवेदन करते समय आवश्यक सभी दस्तावेजों को जुटाने के लिए भी संघर्ष करते हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि इस अध्ययन में दिखाया गया है, यहां तक कि जहां जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और वकीलों से मुआवजे के लिए आवेदन की इस जटिल प्रक्रिया को पूरा करने में मदद मिलती है, यह सुनिश्चित करना बेहद मुश्किल है कि मुआवजा सरकारी अधिकारियों द्वारा आवंटित कर दिया जाए और वास्तव में उत्तरजीवी/पीडिता या परिवार तक पहुंच जाए ।

कई मामलों में, हालांकि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजे के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन कानूनी अनिवार्यता के बावजूद कोई मुआवजा आवंटित नहीं किया गया। कुछ मामलों में, अधिकारियों ने साफ़-तौर पे धन की कमी को ही मुआवजे का भुगतान न करने के कारण बताया। कुछ मामलों में, अदालत द्वारा दोषसिद्धि के बाद मुआवज़े के आदेश देने के बावजूद, उत्तरजीवी/पीडिता या उसके परिवार द्वारा मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया । उदाहरण के लिए, 2018 में पांच वर्षीय बच्ची के बलात्कार से जुड़े एक मामले में, मई 2019 में अदालत के फैसले ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और INR 8,00,000 के मुआवजा का निर्णय दिया । लेकिन, इस रिपोर्ट के छपने तक, यानि कि अदालत के आदेश के 18 महीने बाद भी, यह राशि अभी तक उत्तरजीवी/पीडिता और उसके परिवार को नहीं मिली है, जब्कि राज्य सरकार के अधिकारी यही कह रहे हैं कि उनके पास फण्ड नहीं है। जैसा कि ऊपर प्रकाश डाला गया है (हरियाणा सरकार द्वारा निर्भया फंड के अपर्याप्त-उपयोग पर आंकड़ा देखें), हरियाणा सरकार ने पीड़ित क्षतिपूर्ति कोष के तहत केंद्र सरकार द्वारा आवंटित पुरे फण्ड को उपयोग में नहीं लाया है, इसलिए फंड की कमी का बहाना बिलकुल भी मानने योग्य नहीं है।[65]

सिफारिशें

भारत सरकार, हरियाणा राज्य सरकार और सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने दायरे में यौन हिंसा और जाति आधारित उत्पीड़न विरोधी कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने और हरियाणा में यौन हिंसा के पीड़ितों द्वारा न्याय का उपयोग करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसमें दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव के अंतर्विभाजक/मिश्रित मिलेजुले रूपों का मुकाबला करने के लिए कदम उठाना भी शामिल है ।

भारत सरकार के लिए सिफारिशें :

- यौन हिंसा के प्रति शुन्य सहनशक्ति का एक स्पष्ट जनसंदेश भेजें, और उस हिंसा के प्रति भी जो यौन हिंसा पीड़ितों को या उनके परिवारों को डराने या चुप करवाने के लिए की जाति है, चाहे पीड़ित और आरोपी किसी भी वर्ग, जाति या समुदाय से हों ।
- इस संबंध में CEDAW समिति की सिफारिशों को लागू करने सहित यौन हिंसा से संबंधित भारत के मानव अधिकारों के दायित्वों का अनुपालन।
- न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को लागू करना, जिनमें पुलिस सुधार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों के प्रबंधन में सुधार और शिक्षा सुधार शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश को लागू किया जाना बाकी है।
- जाति और लिंग के मुद्दों पर काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों का समर्थन करें और उन सख्त प्रतिबंधों को हटायें जो गैर सरकारी संगठनों(NGO) के संचालन को रोकते हैं, जिसमें फण्ड जुटाने पर प्रतिबंध भी शामिल है।

राज्य सरकार के लिए सिफारिशें :

सामान्य

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी महिलाएं और लड़कियां यौन हिंसा के संबंध में कानून के तहत अधिकारों से अवगत रहे, राज्यव्यापी कार्यक्रम संस्थापित करें। सुनिश्चित करें कि दलित महिलाओं और लड़कियों को जाति आधारित भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ कानूनी प्रावधानों और उपलब्ध कानूनी निवारण तंत्र के बारे में जागरूक किया जाए।
- महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, हत्या के साथ बलात्कार और हत्या और अन्य अपराधों के मामलों पर राज्य-स्तरीय जाति-आधारित डेटा/आंकड़े एकत्र करें।
- खाप पंचायतों को बैन करें और यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के प्रतिबंध को लागू किया जाए, इसमें यह भी शामिल है कि बलात्कार पीड़ितों या उनके परिवारों को धमकाने, दबाने या बलपूर्वक बलात्कार के मामलों में अतिरिक्त कानूनी समझौता कराने वाले पंचायत सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करें ।

उत्तरजीवी/पीडिता और उनके परिवारों को सहायता सेवाएँ

- पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए समर्थन प्रणाली को मजबूत करना, जिसमें परामर्श और मानसिक-सामाजिक सहायता सेवाओं के प्रावधान शामिल हैं, महिलाओं और लड़कियों के लिए आश्रयों की उपलब्धता और स्थिति में सुधार, सतत शिक्षा, पुनर्वास कार्यक्रमों और इसी तरह की सहायता।
- सुनिश्चित करें कि राज्य में सभी वन स्टॉप सेंटरों को कार्य करने के लिए आवश्यक सुविधाएं, स्टाफ और धनराशि उपलब्ध कराई गई है।
- वन स्टॉप सेंटरों के कर्मचारियों के लिए पूर्ण और नियमित प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे यौन हिंसा से संघरशील लोगों के साथ काम करना सक्षमता से युक्त हो सकें और उचित रूप कार्य कर सकें।

एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन

- एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और परीक्षण के लिए विशेष पुलिस थानों और अलग से विशेष न्यायालयों की स्थापना, जो समुदायों द्वारा पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित कर सके ।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (PoA) अधिनियम के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा एक समीक्षा आयोजित करना, विशेष रूप से हरियाणा में दलित महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के संबंध में और समीक्षा के दिशानिर्देशों पर सकारात्मक और निश्चित रूप से कार्रवाई करना।
- दलित और महिला मानवाधिकार रक्षकों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि उन्हें किसी भी सरकारी अधिकारी या जनता द्वारा अपना काम करने के लिए सताया नहीं जाता है, जिसमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ शून्य सहनशक्ति का दृष्टिकोण शामिल है, जो मानव अधिकार रक्षकों के खिलाफ धमकी, आतंक या हिंसा का उपयोग करता है।

यौन हिंसा को रोकने और संबोधित करने के लिए कार्यक्रमों की पर्याप्त व्यवस्था

- निर्भया फंड के तहत हरियाणा को आवंटित फण्ड के संपूर्ण उपयोग के साथ शुरुआत करते हुए, यौन हिंसा रोकथाम और प्रतिक्रिया कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का आवंटन बढ़ाना।
- सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को कानून और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पीड़ित मुआवजे के भुगतान के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है।

यौन हिंसा के मामलों में पुलिस की प्रतिक्रियाओं में सुधार की दिशा में, राज्य सरकार और हरियाणा पुलिस के लिए दिशा-निर्देश:

- उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करें और अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, जो एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पीड़ितों या उनके परिवारों को समझौता करने के लिए धकेलते हैं या अन्य किसी भी प्रकार से यौन हिंसा के मामलों में न्याय के रास्ते में बाधा डालते है।
- सभी पुलिस अधिकारियों के लिंग संवेदीकरण और पूर्वाग्रह-निरोधक प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। यौन हिंसा से संबंधित लागू कानूनी प्रावधानों, संशोधित एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के प्रावधानों और इन मामलों में पीड़ितों के अधिकारों पर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण भी आवश्यक है।
- सुनिश्चित करें कि एफआईआर दर्ज करने वाले प्रत्येक यौन हिंसा पीड़ित को कानूनी प्रक्रिया की व्याख्या करने और कानूनी सहायता हासिल करने में मदद करने के लिए एक सहायक प्रदान किया जाता है।
- पुलिस बल और पीड़ितों के लिए समर्थन के लिए नियुक्त स्वैच्छिक पैरालीगल अधिकारियों की लिंग और जाति विविधता में सुधार करें। कम से कम, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हरियाणा में निर्धारित सरकारी पदों का आरक्षण कोटा पूरा हो।
- पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही में सुधार और एक प्रभावी शिकायत प्रक्रिया की स्थापना के संबंध में 2013 में आपराधिक कानून में न्यायमूर्ति वर्मा समिति द्वारा अनुशंसित पुलिस सुधारों को लागू करना।
- सुनिश्चित करें कि यौन हिंसा के मामलों में अपराध स्थल की ऑन-द-स्पॉट जाँच के दौरान पुलिस द्वारा पंचायत सदस्य या सरपंच (ग्राम प्रधान) को पुलिस द्वारा पंच (स्वतंत्र पर्यवेक्षक या गवाह) के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए, विशेषकर दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ किये गए अपराधों के मामलों में।
- गवाह संरक्षण योजना 2018 और हरियाणा गवाह संरक्षण योजना 2020 के प्रावधानों को तुरंत और प्रभावी रूप से लागू करें, जिसमें प्रत्येक जिले में साक्षी संरक्षण कक्षों की स्थापना, राज्य साक्षी संरक्षण कोष को पर्याप्त संसाधन आवंटित करना और सुनिश्चित करना की पुलिस अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को नई योजना के प्रावधानों से अवगत कराया जाता है और उन्हें लागू करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है।

राज्य सरकार और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए दिशा-निर्देश:

- राज्य पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पीड़ितों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उपाय करें, जिसमें पुलिस थानों में इस तरह की जानकारी प्रदान करना और ऐसे आवेदन करने में पीड़ितों का समर्थन करना शामिल है।
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के उन अधिकारियों, जो बलात्कार पीड़ितों द्वारा आवेदन या अदालत के आदेशों के बावजूद बलात्कार पीड़ितों को पीड़ित-मुआवजा देने में विफल रहते हैं, पर नजर रखना और उन्हें जवाबदेह ठहराना।

प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, जो जीवित रहने के लिए अनुकूल मेडिकल परीक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए चाहिए:

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए मेडिको-लीगल/स्वाथ्य-विधिक देखभाल के लिए 2014 दिशानिर्देशों को अपनाएं और लागू करें और सुनिश्चित करें कि सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को इन दिशानिर्देशों की सामग्री से अवगत कराया जाए।
- सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य विभाग सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को दो-उंगली परीक्षण पर प्रतिबंध के बारे में निर्देश जारी करता है और जागरूकता बढ़ाता है।
- मेडिकल एसोसिएशन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित, दो-उंगली परीक्षण करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ कार्रवाई करें।
- समय पर और संवेदनशील तरीके से उचित बलात्कार के बाद की जाने वाली डॉक्टरी जांच का संचालन करें और पुलिस शिकायत के पूर्व पंजीकरण पर जोर दिए बिना, राजकीय अस्पतालों के माध्यम से, पीड़ितों को चिकित्सा देखभाल और परामर्श सेवाएं प्रदान करें।

राज्य सरकार, कानून अधिकारी और सरकारी वकीलों के लिए दिशानिर्देश:

- यौन हिंसा पीड़ितों को कानूनी सहायता की उपलब्धता में सुधार करें और यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रक्रिया और कानून के तहत उनके अधिकारों के बारे में समय पर सूचित किया जाए।
- अधिक महिला सरकारी वकील नियुक्त करें, विशेषकर यौन हिंसा के मामलों में।
- मामलों के परीक्षण में जो अड़चनें/गति-अवरोधक हैं, उन्हें दूर करें। उदाहरण के लिए, डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्टों को समय पर जमा करने में सुधार के लिए अतिरिक्त फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की तत्काल आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रयोगशालाओं में स्टाफ पूरा हो ।
- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अनुसार मुकदमा शुरू होने के बाद पीड़ितों और अन्य गवाहों का दिन-प्रतिदिन के आधार पर पूरा बयान।

एंडनोट

1. इस रिपोर्ट के प्रयोजनों के लिए, “दबंग जातियों” शब्द का उपयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित जातियों के अलावा सभी जातियों के लिए किया जा रहा है।
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत में अपराध, https://ncrb.gov.in/hi/node/2974
3. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4 (2015-16) के आंकड़ों के आधार पर एक अनुमान बताता है कि भारत में यौन हिंसा के 99% मामले असूचित हैं।
4. देखें: प्रमित भट्टाचार्य, ताडित कुंडू, 99% यौन उत्पीड़न असूचित ही रह जाते हैं, सरकार के डेटा दिखाते हैं, लाइव-मिंट, 24 अप्रैल 2018 https://www.livemint.com/Politics/AV3sIKoEBAGZozALMX8THK/99-cases-of-sexual--assaults-go-unreported-govt-data-shows.html
5. जी.सी. पाल, जाति-लैंगिक अंतर और हरियाणा में अत्याचार: उभरते पैटर्न और राज्य प्रतिक्रियाएं, 2018 (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
6. दलित मानवाधिकार पर राष्ट्रीय अभियान, दलित महिलाएं बोलीं: भारत में दलित महिलाओं के खिलाफ हिंसा, 2006, https://idsn.org/uploads/media/Violence_against_Dalit_Woment.pdf
7. देखें: सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च, इंटेरसेक्शनलिटी: कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में लिंग, लिंग पहचान और विकलांगता के चौराहों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव पर एक रिपोर्ट, 2019 (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
8. महिलाओं के विरूद्ध समस्त प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन का अभिसमय (सीईडीएडब्ल्यू) CEDAW / C / GC / 35, महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा पर सामान्य दिशानिर्देश क्र. 35, सामान्य दिशानिर्देश क्र. 19 को अद्यतन करने की दिशा में।
9. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र की समिति, भारत की 4थी और 5वीं आवधिक रिपोर्टों पर अपनी समापन टिप्पणियां, 2014
10. अनुच्छेद 14 & 15, भारत का संविधान, 1950
11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, http://socialjustice.nic.in/writereaddata/UploadFile/ANNUAL_REPORT_201920H.pdf
12. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ़ कास्टिस्म, कोम्मुनिलिस्म एंड लॉ, एससी एसटी पीओए अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालतों के प्रदर्शन पर अध्ययन https://idsn.org/wp-content/uploads/user_folder/pdf/New_files/India/Performan_of_courts_SCST_act-_Study.pdf) (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
13. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत में अपराध (2018) https://ncrb.gov.in/hi/node/2957, भारत में अपराध (2019) https://ncrb.gov.in/hi/node/2974
14. यह आंकड़ा केवल बलात्कार के मामलों के लिए है - POCSO की धारा 4 और 6 के तहत दंडनीय प्रवेशन लैंगिक हमला और गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला। हरियाणा में 2018 में POCSO मामलों की कुल संख्या 1839 है, जिसमें प्रवेशन लैंगिक हमले के 633 मामले और शेष POCSO के तहत अन्य अपराध जैसे कि यौन उत्पीड़न आदि के मामले हैं। 2019 के लिए, यह 1976 है, जिसमें प्रवेशन लैंगिक हमले के 859 मामले और शेष POCSO के तहत अन्य अपराधों जैसे कि यौन उत्पीड़न आदि मामले शामिल हैं।
15. जी.सी. पाल, जाति-लैंगिक अंतर और हरियाणा में अत्याचार: उभरते पैटर्न और राज्य प्रतिक्रियाएं, 2018 (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
16. WSS की रिपोर्ट ‘वुमन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रेप्रे-शन, स्पीक: द ट्रुथ इस स्टिल अलाइव! लैंड, कास्ट एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमन एंड गर्ल्स इन हरियाणा ‘(2014), https://wssnet.org/2014/07/18/land-caste-and-sexual--violence-against-dalit-girls-and-women-in-haryana-a--report-by-wss/ पर उपलब्ध (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
17. यहाँ ध्यान में लाने के लिए बता दें कि रिपोर्ट किए गए बलात्कारों का केवल एक छोटा प्रतिशत वास्तव में झूठा माना जाता है और यह तथ्य कि यौन हिंसा अपराध साबित नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोप गलत था, जैसा कि इस रिपोर्ट में उजागर किए गए मामलों से संकेत मिलता है।
18. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बलात्कार के मामलों में चार्जशीट की दर के राज्य-वार आंकड़े प्रदान नहीं करती है, केवल सामान्य रूप से महिलाओं के खिलाफ सभी अपराधों के लिए करती है। हरियाणा में बलात्कार के मामलों के लिए चार्जशीट की दर राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित हरियाणा में अपराध, 2018 के डाटा से प्राप्त की गई है। यह डेटा 2019 के लिए उपलब्ध नहीं है।
19. राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, मासिक अपराध सांख्यिकी - 2019 http://scrb.haryanapolice.gov.in/Monthly%20Crime%20statistics.asp, अंतिम बार 31 अगस्त 2020 को देखा गया.
20. देखें राज्य क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हरयाणा में अपराध -2018, http://scrb.haryanapolice.gov.in/Monthly%20Crime%20statistics.asp. यह डेटा 2019 के लिए उपलब्ध नहीं है।
21. 2018 में, NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा में कुल 1296 बलात्कार के मामलों में से 155 सामूहिक बलात्कार दर्ज किए गए थे। 2019 में, NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा में कुल 1480 बलात्कार के मामलों में से 159 सामूहिक बलात्कार दर्ज किए गए थे।
22. जी.सी. पाल, जाति-लैंगिक अंतर और हरियाणा में अत्याचार: उभरते पैटर्न और राज्य प्रतिक्रियाएं, 2018 (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
23. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण IV - भारत, 2016, http://rchiips.org/NFHS/NFHS-4Reports/India.pdf
24. PRIA, एड्रेस्सिंग वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमन: इनसाइट्स बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपीरियंस इन हरयाणा, 2013, https://www.pria.org/knowledge_resource/Addressing_Violence_Against_Dalit_Women_2.pdf
25. रामफल बनाम हरयाणा राज्य आपराधिक अपील क्र. 438/2011, निर्णय दिनांक 27 नवम्बर 2019
26. अरुमुगम सेर्वाई बनाम तमिलनाडू राज्य (2011) 6 SCC 405.
27. सतपाल सिंह, दलबीर सिंह, आयडेंटीफायिंग द सेंट्रीपीटल एंड सेंट्री-फ्युगल फोर्सेज थ्रू खाप पंचायतस इन हरियाणा - एन एनालिसिस, 16(4) IOSR जरनल ऑफ ह्यूमेनिटीस एंड सोशल साइंसेज 109 (2013).
28. आल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच (AIDMAM) का लेख ‘वॉइसेस अगेंस्ट कास्ट इम्पुनिटी; नर्रेटिवस ऑफ़ दलित वुमन इन इंडिया (2018)
29. धारा 166A, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा जोड़ी गई
30. धारा 154(2), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
31. आल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच (AIDMAM) का लेख ‘वॉइसेस अगेंस्ट कास्ट इम्पुनिटी; नर्रेटिवस ऑफ़ दलित वुमन इन इंडिया (2018); WSS की रिपोर्ट ‘वुमन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रेप्रेशन, स्पीक: द ट्रुथ इस स्टिल अलाइव! लैंड, कास्ट एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमन एंड गर्ल्स इन हरियाणा ‘(2014), https://wssnet.org/2014/07/18/land--caste-and-sexual-violence-against-dalit-girls-and-women--in-haryana-a-report-by-wss/ पर उपलब्ध, (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
32. देखें: WSS की रिपोर्ट ‘वुमन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रेप्रेशन, स्पीक: द ट्रुथ इस स्टिल अलाइव! लैंड, कास्ट एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमन एंड गर्ल्स इन हरियाणा ‘(2014), https://wssnet.org/2014/07/18/land-caste--and-sexual-violence-against-dalit-girls-and-women-in--haryana-a-report-by-wss/ पर उपलब्ध, (केवल अंग्रेजी में

उपलब्ध)
33. धारा 154, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित
34. हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रेस विज्ञप्ति, 10 जनवरी 2020, https://haryanacmoffice.gov.in/index.php/10-january-2020
35. देखें: निर्विरकार जस्सल, जेंडर, लॉ एन्फोर्समेंट, एंड एक्सेस टू जस्टिस: एविडेंस फ्रॉम आल-वुमन पुलिस स्टेशनस इन इंडिया, अमेरिकन पोलिटिकल साइंस रिवियू, 11 अगस्त 2020. (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
36. टाटा ट्रस्ट्स, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट: रैंकिंग स्टेटस ऑन पुलिस, जुडीसियरी, प्रिसनस एंड लीगल ऐड, टाटा ट्रस्ट्स, नई दिल्ली, भारत (2019).
37. इसे भी देखें: PRIA, एड्रेस्सिंग वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमन: इनसाइट्स बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपीरियंस इन हरयाणा, 2013, https://www.pria.org/knowledge_resource/Addressing_Violence_Against_Dalit_Women_2.pdf
38. महिलाओं के खिलाफ हिंसा, कारण और प्रभाव; पर 'संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिनिधि' की रिपोर्ट में, रशीदा मंजू, मिशन टू इंडिया, मानवाधिकार परिषद, 26वा अधिवेशन, अप्रेल 2014
39. यह भी देखने योग्य है: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया और लोकल सर्कल्स, इंडिया करप्शन सर्वे 2019, जिसमें पाया गया कि हरियाणा के 44% नागरिकों ने पिछले साल रिश्वत दी थी, जिसमें 'रिश्वत लेती पुलिस' भ्रष्टाचार का शीर्ष क्षेत्र था।
40. देखें: धारा 320, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, जो उन अपराधों को सूचीबद्ध करती है जिनके लिए समझौता की अनुमति है.
41. धारा 166A, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा जोड़ी गई
42. ह्यूमन राइट्स वाच, एवरीवन ब्लेम्स मी: बैरियर्स टू जस्टिस एंड सपोर्ट सर्विसेस फॉर सेक्सुअल असाल्ट सर्वायवर्स इन इंडिया(2017), https://www.hrw.org/report/2017/11/08/everyone-blames-me/barriers-justice-and-support--services-sexual-assault-survivors (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
43. महेंद्र चावला एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य [रिट याचिका (आपराधिक) No. 156 of 2016].
44. हरियाणा गवाह संरक्षण योजना, 2020, http://homeharyana.gov.in/pdfs/1600429632WPS.pdf
45. ह्यूमन राइट्स वाच, एवरीवन ब्लेम्स मी: बैरियर्स टू जस्टिस एंड सपोर्ट सर्विसेस फॉर सेक्सुअल असाल्ट सर्वायवर्स इन इंडिया(2017), https://www.hrw.org/report/2017/11/08/everyone-blames-me/barriers-justice-and-support--services-sexual-assault-survivors (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल: यौन हिंसा उत्तरजीवियों/पीड़ितों के लिए मेडिको-लीगल केयर, 2014, https://main.mohfw.gov.in/sites/default/file/953522324.pdf
47. इसे भी देखें: WSS की रिपोर्ट 'वुमन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रेप्रेशन, स्पीक: द ट्रुथ इस स्टिल अलाइव! लैंड, कास्ट एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमन एंड गर्ल्स इन हरियाणा '(2014), https://wssnet.org/2014/07/18/land--caste-and-sexual-violence-against-dalit-girls-and-women--in-haryana-a-report-by-wss/ पर उपलब्ध, (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध); आल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच (AIDMAM) का लेख 'वॉइसेस अगेंस्ट कास्ट इम्पुनिटी; नर्रेटिवस ऑफ़ दलित वुमन इन इंडिया (2018)
48. लिल्लू बनाम हरयाणा राज्य (2013)14 SCC 643
49. (2013)14 SCC 643
50. आल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच (AIDMAM) का लेख 'वॉइसेस अगेंस्ट कास्ट इम्पुनिटी; नर्रेटिवस ऑफ़ दलित वुमन इन इंडिया (2018)
51. एन. सुब्बुराज बनाम डिस्ट्रिक्ट कलक्टर W.P.(MD) No.246 of 2016, मद्रास उच्च न्यायालय
52. WSS की रिपोर्ट 'वुमन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रेप्रेशन, स्पीक: द ट्रुथ इस स्टिल अलाइव! लैंड, कास्ट एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमन एंड गर्ल्स इन हरियाणा '(2014), https://wssnet.org/2014/07/18/land-caste-and-sexual--violence-against-dalit-girls-and-women-in-haryana-a--report-by-wss/ पर उपलब्ध, (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
53. धारा 173, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
54. धारा 309, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
55. प्रेस सूचना कार्यालय(प्रेस सूचना ब्यूरो/पीआईबी), भारत सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय, निर्भया फंड, 29 नवम्बर 2019, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1594221
56. महिला और बाल विकास मंत्रालय, वन स्टॉप सेंटर योजना: राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के लिए कार्यान्वयन दिशा-निर्देश, दिसंबर 2017, https://wcd.nic.in/sites/default/files/OSC_G.pdf
57. महिला और बाल विकास मंत्रालय, वन स्टॉप सेंटर डायरेक्टरी, 19 मार्च 2020, https://wcd.nic.in/sites/default/files/683OSCDirectory-19.03.2020_0.pdf
58. अर्चना मिश्रा, वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमन सेफ्टी इनक्रीसस इट्स आउटरीच, हिंदुस्तान टाइम्स, 4 फरवरी 2020, https://www.hindustantimes.com/cities/one-stop-centre--for-women-safety-increases-its-outreach/story--j1cAtMJxfM2YEEP59vfPcM.html; ज्योति यादव, फार फ्रॉम बींग द सलूशन, हरियाणा वन स्टॉप सेंटरस सीम टू बी एडिंग टू वुमनस प्रोब्लेम्स, द प्रिंट, 4 सितम्बर 2019, https://theprint.in/india/far-from-being-the-solution-haryana--one-stop-centres-seem-to-be-adding-to-womens--problems/286167/ (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
59. ज्योति यादव, फार फ्रॉम बींग द सलूशन, हरियाणा वन स्टॉप सेंटरस सीम टू बी एडिंग टू वुमनस प्रोब्लेम्स, द प्रिंट, 4 सितम्बर 2019, https://theprint.in/india/far-from-being-the-solution--haryana-one-stop-centres-seem-to-be-adding-to--womens-problems/286167/ (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
60. जागृति चंद्रा, इस 'कोम्प्रोमाईज़' द रूट देट वन स्टॉप सेंटरस शुड चूज़?, द हिन्दू, जनवरी 2019, https://www.thehindu.com/news/national/other-states/is-compromise-the-route-that--one-stop-centres-should-choose/article25986995.ece
61. PRIA, एड्रेस्सिंग वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमन: इनसाइट्स बेस्ड ऑन फील्ड एक्सपीरियंस इन हरयाणा, 2013, https://www.pria.org/knowledge_resource/Addressing_Violence_Against_Dalit_Women_2.pdf
62. नीरज चौहान, 30% रायिज़ इन सेक्सुअल एब्यूज ऑफ़ यंग वुमन इन शेल्टर होम्स: NCRB एनुअल रिपोर्ट, हिंदुस्तान टाइम्स, 9 जनवरी 2020, https://www.hindustantimes.com/india-news/30-rise-in-sexual-abuse-of-young--women-in-shelter-homes-ncrb-annual-report/story--OApm3FPeP0ZUsha5lWdKuK.html (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
63. निपुन सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया , W.P. (c) No. 565/2012, निर्णय दिनांक 11 मई 2018
64. WSS की रिपोर्ट 'वुमन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस एंड स्टेट रेप्रेशन, स्पीक: द ट्रुथ इस स्टिल अलाइव! लैंड, कास्ट एंड सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट दलित वुमन एंड गर्ल्स इन हरियाणा '(2014), https://wssnet.org/2014/07/18/land-caste-and-sexual--violence-against-dalit-girls-and-women-in-haryana-a--report-by-wss/ पर उपलब्ध, (केवल अंग्रेजी में उपलब्ध)
65. भारत सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय, निर्भया फंड, 19 जुलाई 2019, https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1579539

हरियाणा में यौन हिंसा से पीड़ित दलित महिलाएं न्याय से दूर ! यौन हिंसक तीव्रता में चौतरफा भेदभाव!

इक्वलिटी नाउ

ईमेल: info@equalitynow.org

वेबसाइट: equalitynow.org

स्वाभिमान सोसाइटी

फ़ोन: (+91) 805 363 1148 / 860 717 1084

ईमेल: swabhimanhr@gmail.com

पता: 245/8 गांधी नगर कुरुक्षेत्र

हरियाणा पिनकोड - 136118

Swabhiman Society

Equality Now

A just world for women and girls.